कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा

विषय-सूची

भ्रष्टाचार से निपटने का प्रावधान करने वाले लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 पर मत विभाजन के लिए संसद का सत्र बुलाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 5 जनवरी 2012 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल को ज्ञापन सौंपा।

लोकपाल विधेयक
राष्ट्रपति को भाजपा ने ज्ञापन सौंपा..... 6

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक- २०११
श्रीमती सुषमा स्वराज..... 10
श्री अरुण जेटली 12

साक्षात्कार
श्री बिशन सिंह चुफाल, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखण्ड, भाजपा..... 15
श्री अश्विनी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, पंजाब, भाजपा..... 17

लेख
हार्ड पॉवर, साफ्ट पॉवर, स्मार्ट पॉवर
-लालकृष्ण आडवाणी..... 19
छत्तीसगढ़ में साकार होता सुशासन का सपना
-स्वराज्य कुमार..... 21

अन्य
मध्यप्रदेश भाजपा कार्यसमिति बैठक..... 23
धूमल सरकार ने पूरे किए जन-सेवा के चार वर्ष..... 28
अभाविप का 57वां राष्ट्रीय अधिवेशन..... 30

बोध कथा

आचार्य की परीक्षा

आचार्य विष्णु गुप्त, जो बाद में चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन दिनों तक्षशिला में पढ़ाते थे। वे सैद्धांतिक की तुलना में व्यावहारिक ज्ञान देना ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि व्यावहारिक ज्ञान के माध्यम से ही शिष्यों का व्यक्तित्व समग्र विकास पाता है। गुरुकुल का एक सत्र पूर्ण होने के पश्चात आचार्य अपने शिष्यों की अंतिम परीक्षा लेते थे। ऐसे ही एक सत्र पूर्ण होने पर आचार्य विष्णु गुप्त ने शिष्यों को बांस की टोकरियां देते हुए कहा– इनमें नदी से जल भर लाओ। उससे गुरुकुल की सफाई करनी है।

शिष्य आचार्य की आज्ञा सुनकर चकरा गए कि बांस की टोकरी में जल भरकर लाना असंभव है। मगर सभी ने नदी पर जाकर प्रयास किया। बांस की टोकरियों में जल भरने से वह छिद्रों में से रिस जाता। आखिर एक शिष्य को छोड़कर सभी लौट आए। उस शिष्य के मन में आचार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा थी और वह यह सोचकर बार–बार जल भरता कि गुरुदेव ने सोच–समझकर ही ऐसी आज्ञा दी होगी। शाम तक वह जल भरने का प्रयास करता रहा।

बांस की टोकरी के सुबह से शाम तक जल में रहने के कारण बांस की तीलियां फूल गईं और छिद्र बंद हो गए। आखिर शाम को वह टोकरी में जल भरकर आचार्य के पास लौटा। तब आचार्य ने अन्य शिष्यों से कहा– मैंने तुम्हें दुरूह कार्य सौंपा था किंतु विवेक, धैर्य, लगन व निरंतर प्रयास से यह संभव था। कड़े परिश्रम और लगन से असंभव दिखाई देने वाला कार्य भी संभव हो जाता है, इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।

संकलनः प्रवीण कुमार
(नवभारत टाईम्स से साभार)

व्यंग्य चित्र

हमें लिखें...

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी–66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003
ई–मेलः
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको नियमित मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको कोई अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

सम्पादकीय

भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुटी है यूपीए सरकार

न् 2011 के अंतिम माह का अंतिम सप्ताह। तारीख 29 दिसम्बर। संसद का उच्च सदन, जहां लोकतंत्र की रक्षार्थ प्रखर आवाज बुलंद होती हैं, वहां उस दिन ठीक रात 12 बजे कांग्रेसनीत यूपीए ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री की उपस्थिति में सत्ता का दुरूपयोग करते हुए लोकतंत्र की हत्या की। दुर्भाग्य यह रहा कि कांग्रेसनीत यूपीए ने आसंदी की गरिमा की भी चिंता न की और लोकतंत्र की हत्या में उनको भी शामिल करने से नहीं चूके। संसद में लोकतंत्र की हत्या करने वालों के कृत्यों को पूरे देश ने अपनी आंखों से सभी चैनलों पर देखा। प्रतिपक्ष के नेता सदन को यह आश्वस्त करते रहे कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोकपाल बिल पर यदि रातभर चर्चा करनी पड़े तो हमें एतराज नहीं। आगे यह भी कहा कि सदन में जो सरकार मतदान से भाग रही हो उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन निर्लज्जता पर उतारू सत्तापक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शायद कांग्रेसी यह भूल गए थे कि उस रात सदन को देशवासी सुबह से देर रात तक एकटक देख रहे थे। यूपीए की अंदरूनी हालत का खुलासा भी उस दिन सदन में हुआ। केन्द्र में कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस सत्ता में भागीदार है, लेकिन इन दोनों दलों के संबंधों को राज्यसभा में तार–तार होते देखा गया। वहीं लालू–मूलायम–जयललिता–करूणानिधि– रामविलास–सीपीएम–सीपीआई सहित निर्दलीय सांसद ही नहीं, सब सरकार द्वारा लाए गए लोकपाल बिल में संशोधनों की बाट जोह रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि कांग्रेस ईमानदारी से संशोधनों पर विचार करेगी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस हथियार को धारदार बनाएगी।

लोकसभा में सरकारी लोकपाल को संवैधानिक स्वरूप न मिलने के बाद राज्यसभा में हुई दुर्दशा सत्तापक्ष के लोकपाल बिल पारित करने में एक नहीं, अनेक संदेह जन्म देता है। कांग्रेस के रवैय्ये से स्पष्ट है कि वह चाहती है कि देश से भ्रष्टाचार न मिटे। कांग्रेस पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के समर्थन में खड़ी हो गई है। कांग्रेस अपने दल के भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है। 2जी घोटाले में फंस रहे गृहमंत्री को बचाने के प्रयास में प्रधानमंत्री ने अपनी बची–खुची साख धूल में मिला दी।

सरकारी लोकपाल में संशोधनों से सरकार क्यों कतरा रही है? क्या इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को जमींदोज कर दिया जाएगा? अगर देश यह कहे कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, तो इसमें गलत क्या है? भारत इस प्रश्न का उत्तर आज नहीं कल कांग्रेस से चाहता है वहीं नागरिकों को समझना होगा कि कांग्रेस की नीयत क्या है? भ्रष्टाचारियों को कौन–कौन बचा रहा है? भ्रष्टाचार की खेती फूले–फले, यह कौन चाहता है?

सदन से इस तरह कांग्रेस का पलायन इस बात को भी प्रमाणित करता है कि देश में प्रधानमंत्री कुछ दिनों के मेहमान हैं। गठबंधन टूट के कगार पर है। मध्यावधि चुनाव सिर पर सवार है। लोकपाल मसले पर संसद में घटित घटना संसद की मर्यादा, संविधान की मर्यादा और देश के नागरिकों की मर्यादा का अपमान है। मुख्य प्रतिपक्षी दल के नाते भाजपा को इस प्रकरण के विवरण को गांव–गांव तक ले जाना चाहिए और इसकी वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से जन–जन को अवगत कराना चाहिए।

देशवासियों को इस अपमान का बदला लेने के लिए स्वयं भी आगे आना होगा क्योंकि लोकतंत्र जीवित रहेगा तो लोकपाल की सार्थकता रहेगी। यदि लोकतंत्र नहीं रहेगा तो लोकपाल लाकर क्या होगा? ■

लोकपाल पर संसद का विशेष सत्र बुलाए सरकार राष्ट्रपति को भाजपा ने ज्ञापन सौंपा

भ्रष्टाचार से निपटने का प्रावधान करने वाले लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 पर मत विभाजन के लिए संसद का सत्र बुलाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 5 जनवरी 2012 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल को ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली शामिल थे। हम यहां ज्ञापन का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:–

egkefge jk"Vªifr th]

हम, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, 24 दिसम्बर, 2011 की आधी रात को भारतीय संसद की पूर्ण रूप से की गई अवहेलना के बारे में अपनी शिकायत आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। संसद का शीतकालीन सत्र "लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011" पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए 27 से 29 दिसम्बर, 2011 तक 3 दिन के लिए बढ़ाया गया था। विधेयक लोकसभा में 27 दिसम्बर, 2011 को पारित कर दिया गया था। अगले दिन अर्थात् 28 दिसम्बर, 2011 को राज्यसभा की पूरे दिन बैठक चली और सदस्यों ने बार–बार यह बात उठाई कि विधेयक के लिए एजेंडा चर्चा के लिए परिचालित क्यों नहीं किया जा रहा है। महामहिम, हमें पता चला है कि आपने 28 दिसम्बर, 2011 को दोपहर बाद राज्यसभा द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। तथापि, सरकार के मन में कुछ और था। चूंकि उनके पास उक्त विधेयक को पारित करने के लिए बहुमत नहीं था, अतः सरकार की यह रणनीति थी कि या तो वह सब कुछ मैनेज कर लेगी और कुछ छोटी राजनीतिक पार्टियों को अपने साथ मिला लेगी या इसके विकल्प के रूप में विधेयक पर चर्चा को किसी प्रकार

➡

से टाल दिया जाये और इसे पारित नहीं होने दिया जाये। यह उस रणनीति का एक हिस्सा था और विधेयक पर 28 दिसम्बर, 2011 को चर्चा शुरू नहीं हो पाई ।

चर्चा 29 दिसम्बर, 2011 को सुबह 11 बजे आरम्भ हुई। इस चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया जो शाम 7 बजे समाप्त होना था और उसके बाद मतदान हो ना निर्धारित था। मतदान करने वाले अनेक सदस्यों ने विधेयक पर कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव दिया था। अधिकांश विपक्षी पार्टियों और कतिपय छोटी पार्टियों ने चर्चा के दौरान यह स्पष्ट किया था कि वे विधेयक पर तीन संशोधनों, जो वास्तव में समान स्वरूप के थे, को मतदान के विचारार्थ रखे जाने पर जोर देंगी। भाजपा ने भी यह स्पष्ट किया था कि वह उन तीन संशोधनों द्वारा यथा संशोधित विधेयक का समर्थ न करेगी। ये पार्टियां, जिन्होंने तीन संशोधनों का समर्थन किया था, स्वयं सदन में बहुमत रखती थीं। स्पष्टतया विपक्ष बहुमत में था और सरकार अल्पमत में थी।

सांय 6 बजे यह बात स्पष्ट हो गई थी कि सरकार राज्यसभा में इन छोटी पार्टियों में से किसी भी पार्टी का समर्थन जुटाने में असफल रही है। अब उसकी रणनीति थी कि सदन में बाधा डाली जाये और इसे मजबूरन स्थगित कर दिया जाये ताकि मतदान न हो पाये। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय चाहती थी कि वह घटनाक्रम के चलते किसी तरह से बहुमत जुटा ले। चर्चा को लम्बा खींचने के अलावा सरकारी बेंचों ने यह आपत्ति उठानी शुरू कर दी कि आधी रात होने जा रही है और मतदान नहीं किया जा सकता।

कांउसिल ऑफ स्टेट्स में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 13 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि काउंसिल की बैठक किसी भी ऐसे समय पर समाप्त हो सकती है जैसा सभापति निर्देश दें। ऐसे अनेक अवसर हैं, जब राज्यसभा की बैठक आधी रात के बाद भी चली। ये आपत्तियां उठाई गईं कि क्या दिन की बैठक आधी रात 12 बजे समाप्त हो। पीठासीन अधिकारियों ने नियम 13 के तहत निरंतर कई बार व्यवस्था दी है कि संसदीय दिन तब तक चलेगा जब तक उस दिन का एजेंडा समाप्त नहीं हो जाता। 22 दिसम्बर, 1980, 17 सितम्बर, 1981, 8 मई, 1986, 29 दिसम्बर, 1986, 14 दिसम्बर, 1987, 11 मई, 1988, 12 अक्तूबर, 1989, 13 अक्तूबर, 1989 और 4 जून, 1991 ऐसे कुछ उदाहरण हैं जब सदन की बैठक आधी रात के बाद तक चली। स्पष्टतया सरकार की आपत्ति मान्य नहीं थी।

जब इस तरह से संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है, तो राष्ट्रपति को, जो भारतीय संविधान के रक्षक और अभिभावक हैं, कार्यवाही करनी चाहिए। राष्ट्रपति सरकार को पुनः सत्र बुलाने और तुरंत मतदान कराने की सलाह दे सकते हैं। सरकार से यह पूछा जाना चाहिए कि इस प्रकार योजनाबद्ध बाधाओं के माध्यम से सदन में बाधा क्यों डाली गई ।

उसके बाद सरकारी बेंचों ने बाधाएं डालना आरम्भ कर दिया; शुरू में एक मित्र पार्टी के माध्यम से और बाद में उसके अपने सदस्यों के माध्यम से। इस प्रकार की बाधाओं का आशय सदन को स्थगित कराना था ताकि मतदान से बचा जा सके। जब सरकार कार्यवाही में बाधा डालती है और सदन को स्थगित कर दिया जाता है, तो इससे एक खतरनाक उदाहरण स्थापित होता है, जिसका उल्लेख विघ्न डालने वाले सशक्त लोगों द्वारा सदैव किया जायेगा। भविष्य में इस प्रकार की बाधाओं पर आपत्ति करने के लिए सदन की वैधता प्रभावित होती है। योजनाबद्ध बाधाओं के माध्यम में मतदान से बचने का प्रयास स्पष्टतया लोकतंत्र का हनन है। इस सरकार को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जो मतदान से बचना चाहती है। यदि कोई राज्य सरकार विधानमंडल में इस तरीके से मतदान से बचती है, तो इसका मतलब है कि शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। भारतीय राजनीतिक और संवैधानिक प्रणाली उस केन्द्र को किस प्रकार से समर्थन देगी, जो इस तरह का व्यवहार करती है। जब इस तरह से संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है, तो राष्ट्रपति को, जो भारतीय संविधान के रक्षक और अभिभावक हैं, कार्यवाही करनी चाहिए। राष्ट्रपति सरकार को पुनः सत्र बुलाने और तुरंत मतदान कराने की सलाह दे सकते हैं। सरकार से यह पूछा जाना चाहिए कि इस प्रकार योजनाबद्ध बाधाओं के माध्यम से सदन में बाधा क्यों डाली गई।

यह घटना भारत के संसदीय लोकतंत्र पर एक दाग है। महामहिम राष्ट्रपति जी, राष्ट्र भारत की संसद की साख बहाल किये जाने की आपसे अपेक्षा करता है। ■

'कांग्रेस ने शासन का नैतिक अधिकार खोया'

कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 को लोकसभा के बाद राज्यसभा में लाई तो जरूर पर इसका कड़ा विरोध तथा प्रभावकारी एवं मजबूत लोकपाल के भाजपा एवं अन्य विपक्षी दलों के मांग के सामने वोट से मुकी गई एवं राज्यसभा को 29 दिसम्बर 2011 की मध्यरात्रि में स्थगित कर दिया। श्रीमती सुषमा स्वराज, प्रतिपक्ष नेता (लोकसभा) तथा श्री अरुण जेटली, प्रतिपक्ष के नेता (राज्यसभा) ने इस पर 30 दिसम्बर 2011 को वक्तव्य जारी किया जिसका पाठ हम प्रकाशित कर रहे हैं

दल कांग्रेस पार्टी नीत यूपीए ने देश को एक मजबूत लोकपाल दिलाने से रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी और कई अनेक विपक्षी पार्टियों की रणनीति स्पष्ट थी। हम एक कमजोर और बेकार के लोकपाल कानून को हटाना चाहते थे किन्तु हमने संशोधनों पर जोर दिया था जिनसे इस कानून में सुधार आता और कमजोर कानून एक मजबूत कानून बन जाता। हमने विशेष रूप से राज्यसभा में मजबूत कानून पारित करने पर जोर दिया था जहां संख्या की दृष्टि से विपक्ष का बहुमत था। हमने बहुत साफ–साफ बता दिया था कि विपक्षी पार्टियों के आम सहमति के संशोधन के तीन बुनियादी मुद्दे हैं अर्थात् अनुच्छेद 252 के अधीन एक मॉडल कानून बनाकर राज्यों के विधायी अधिकार क्षेत्रों की रक्षा करना, केन्द्रीय सरकार के पंजों से लोकपाल की नियुक्ति और हटाने सम्बन्धी प्रक्रिया से छुटकारा दिलाना और जांच प्रक्रिया को सरल बनाना एवं जांच एजेंसी को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, जिस पर किसी तरह का समझौता करना सम्भव न हो। मंशा यही थी कि यदि ये तीन बदलाव सरकारी प्रारूप में शामिल कर लिए जाएं तो हम संशोधित कानून को स्वीकृति प्रदान कर देंगे।

सरकार ने 28 दिसम्बर को होने वाली चर्चा को ही देर से शुरू किया और इसे 29 दिसम्बर 2011 तक आगे टाल दिया। इसके पीछे कारण यही था जिससे इसके प्रबंधकों को अधिक समय और इधर–उधर करने का मौका मिल जाए जो कुछ राजनैतिक दलों के साथ सांठगांठ करना चाहते हैं। इसमें वे सफल नहीं हुए। उनके सहयोगी दल विलग हो रहे थे। तृणमूल कांग्रेस को

राज्यों के अधिकारों पर कब्जा करने पर गहन आपत्ति थी। नेशनल कांफ्रेंस की भी अपनी आपत्तियां थी। शाम तक यह साफ हो गया था कि सरकार का सांठगांठ कर बहुमत बनाने का प्रयास विफल हो गया। बहुमत संशोधन करने के पक्ष में था जिससे एक मजबूत लोकपाल तंत्र की स्थापना होती। कोई भी सम्मानीय सरकार या तो सदन और देश के मूड के अनुसार मतदान करने देती या वह कुछेक सुझावों पर सहमत होती। यूपीए ने एक कमजोर लोकपाल चाहा। वह इनमें से कुछ भी नहीं कर सकी। अतः उसने 'पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन' को ही विनष्ट करने का फैसला ले लिया। उसने अपनी एक मित्र पार्टी के माध्यम से हंगामा खड़ा करने की योजना बनाई, परन्तु उस मित्र पार्टी के केवल तीन ही सदस्य थे। हंगामा निष्प्रभावी रहा। सरकार ने चर्चा को अंतहीन बना दिया जिसमें एक ही बात को बार–बार दोहराया गया। वह एक अस्वीकार्य तर्क की दिशा की तरफ बढ़ रही थी कि 12 बजे रात्रि को सदन अपने आप ही काम करना बंद कर देगा। सरकार ने हंगामा खड़ा किया और सदन को स्थगित कर दिया। ठीक रात बारह बजे जब दुनिया सो रही थी, भारत जाग रहा था, परन्तु उसके संसदीय लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया।

अब यह बात एकदम साफ है कि सरकार एक मजबूत लोकपाल नहीं चाहती है। वह केवल एक नाकारा और बनावटी तंत्र पैदा करना चाहती है जिसके साथ सरकार तिकड़मबाजी का कमाल दिखा सके। मजबूत और प्रभावकारी लोकपाल बनाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

विगत रात्रि में सरकार द्वारा एक प्रभावी कानून बनाने के अवसर को गंवा कर जिस तरह से राज्य सभा में बाधा डाली गई है, वह इस सरकार पर एक घोर नैतिक कलंक है। प्रधानमंत्री को एक और नैतिक कलंक लेकर अब बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने 2008 में घूस देकर विश्वास मत प्राप्त

किया था। अब वह एक ऐसी सरकार की अगुवाई कर रहे हैं जिसने संसद को भ्रष्ट कर दिया है और लोकपाल पर प्रभावकारी कानून बनाने में बाधा डाली है। लगता है कि यूपीए का विघटन हो रहा है। इनके एक सहयोगी दल ने एक प्रमुख मुद्दे पर सरकार के खिलाफ वोट देने की मंशा खुल्लम–खुल्ला घोषित कर दी है। एक दूसरा सहयोगी दल है, नेशनल कांफ्रेंस, जो सरकार द्वारा यह कानून बनाने के लिए अनुच्छेद 253 का सहारा लेने पर आपत्तियां प्रगट कर रहा है। यह यूपीए सरकार के अंत की शुरूआत भर है। उसके सहयोगी विघटित हो रहे हैं और उसका मतदाता आधार सिकुड़ता चला जा रहा है।

कल मध्यरात की विफलता के बाद यूपीए के लिए यह एक बड़ा सबक है कि वह सही रास्ते पर चले। लगता है यूपीए को स्वयं को राजनैतिक रूप से सुधारने की आदत है ही नहीं। उसकी प्राथमिकता मात्र प्रबंधन, जोड़–तोड़ और फिक्सिंग करने जैसे कुछ खास क्षेत्रों तक ही सीमित होकर रह गई है। इस प्रकार के फिक्सर तब तो ठीक रहते हैं जब सब कुछ ठीक–ठाक चल रहा हो। परन्तु जब सब कुछ ठीक–ठाक न हो तो ये बातें काम नहीं आती हैं। कल भी ऐसा ही हुआ है।

जो सरकार वोट से भागती हो और वोट से बचने के लिए तरह–तरह के असंवैधानिक तरीकों का सहारा लेती हो तो ऐसी सरकार के राजनैतिक तथा नैतिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यूपीए सरकार को एक पल भी सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री और उसकी सरकार को अब त्यागपत्र दे देना चाहिए और उसे लोकपाल के अपने बनाए कानून पर नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए। अब भारत ही तय करे कि क्या उसे सरकार का कमजोर लोकपाल पसंद है या उसे एक मजबूत एवं प्रभावकारी लोकपाल पसंद है। ■

राष्ट्रीय गोवंश विकास प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की बैठक सम्पन्न

गत 3 जनवरी, 2012 को राष्ट्रीय गोवंश विकास प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की बैठक भाजपा केन्द्रीय कार्यालय में सम्पन्न हुयी। बैठक को सम्बोधित करते हुए मा0 श्री महेन्द्र पाण्डेय जी, राष्ट्रीय प्रभारी मोर्चा/प्रकोष्ठ ने देश में बढ रही गोवंश हत्या एवं तस्करी पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुये कहा कि आज गोवंश रक्षा कैसे हो, यह देश के सामने बहुत बडी चुनौती है। उन्होने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और गाय एवं गोवंश ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। गांव–गरीब–किसान के सर्वांगीण विकास के लिये ही भाजपा ने गोवंश विकास प्रकोष्ठ का गठन किया है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निदान करना होगा। प्रकोष्ठ को गतिशील बनाने और इसके माध्यम से पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिये उन्होंने सुझाव दिया कि शीघ्र ही निकट भविष्य में गोभक्तों, गोशालाओं के प्रतिनिधियों, संत समाज एवं संस्थायें जो गोरक्षा के कार्यो में लगी है, उनका सम्मेलन बुलाया जाये। साथ ही देश में कार्यरत गोशालाओं, गोचर भूमि का Documentation तैयार किया जाये। मुस्लिम समाज के नेताओं, धर्मगुरूओं से सम्पर्क कर गोहत्या के विरोध व गोमांस न खाने के सम्बन्ध में घोषणा जारी कराने का प्रयास किया जाये। समय–समय पर बुद्धिजीवियों, न्यायविदों के बीच में गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाये।

प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री राधेश्याम गुप्त ने प्रकोष्ठ की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा प्रकोष्ठ द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही चुनावों के पश्चात अखिल भारतीय गो विकास सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। बैठक में राष्ट्रीय सह–संयोजक श्री जयप्रकाश गर्ग, श्री जयभगवान अग्रवाल व मयंकेश्वर सिंह ने भी अपने विचार रखे। ■

भाजपा नेता सुकुमार नाम्बियार नहीं रहे

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य सुकुमार नाम्बियार का चेन्नई में 9 जनवरी 2011 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 64 वर्ष के थे। श्री सुकुमार भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का भी दायित्व संभाल चुके थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से भाजपा को गहरी क्षति हुई है। उन्होंने विशेषकर तमिलनाडु में पार्टी को सशक्त करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जे. जयललिता ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। ■

विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ है लोकपाल बिल : सुषमा स्वराज

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए यूपीए सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत 'लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक–2011' पर 22 दिसम्बर 2011 को हुयी चर्चा की शुरूआत करते लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने इसे अनेकानेक विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान के विरूद्ध है और संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। प्रस्तुत है उनके भाषण का सारांश :–

पिछले एक वर्ष से इस देश में लोकपाल की चर्चा हो रही है। अण्णा हजारे जी के जनआन्दोलन ने इस चर्चा को और गरमा दिया है। देश बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था कि शीतकालीन सत्र में सरकार एक सशक्त लोकपाल लेकर आएगी। लेकिन जो बिल सरकार लेकर आयी है, उसमें कई त्रुटियां हैं, यह बिल संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लंघन करता है, यह बिल अनेकानेक विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ है और यह बिल इस सदन में बनी हुई सेंस ऑफ दि हाउस की अनदेखी करता है। हमारे देश के संविधान के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिनके साथ छेड़–छाड़ नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्यों की विधान सभाओं का है। 252 का रास्ता अख्तियार करके एक बिल बना दीजिए ताकि यदि राज्य सरकारों की इच्छा होगी तो जस का तस उसे अपना लेंगी।

यूनाइटिड नेशन अंगैस्ट करप्शन को अमली जामा पहनाने के लिए आप यह बिल बना रहे हैं, इसलिए 253 का सहारा ले रहे हैं। 253 के नीचे बना हुआ लॉ मैंडेटरी है। आपका कान्स्टीटयूशन एमेंडमेंट कहता है कि नहीं, हम तो ऑप्शन देना चाहते हैं, हम राज्यों पर लादना नहीं चाहते हैं। बिल संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। इस बिल के लागू होते ही राज्यों में पहले से ही लागू लोकायुक्त कानून निरस्त हो जाएंगे। सरकार मानती है कि यह बिल संविधान की धारा 253 के अंतर्गत बनाया है, तो यह भी मानिए कि 253 के नीचे बना हुआ लॉ मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। आपने ऐसा बिल लाकर केवल देश के संघीय ढांचे पर आघात ही नहीं किया है, बल्कि जो राज्य भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से लड़ रहे हैं, उनकी धार को कुंद करने का अपराध किया है। मेरी अन्य आपत्ति आरक्षण के प्रावधान को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने बार–बार यह कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी होगी, लेकिन अगर आप इस बिल का प्रोविजन देखें तो यह बिल कहता है न्यूनतम सीमा, यानि 50

जो बिल सरकार लेकर आयी है, उसमें कई त्रुटियां हैं, यह बिल संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लंघन करता है, यह बिल अनेकानेक विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ है और यह बिल इस सदन में बनी हुई सेंस ऑफ दि हाउस की अनदेखी करता है। हमारे देश के संविधान के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिनके साथ छेड़–छाड़ नहीं की जा सकती है।

प्रतिशत से कम तो होगा नहीं, 50 प्रतिशत से ऊपर जितना भी हो सकता है। अगर नौकरियों के लिए 50 प्रतिशत की सीमा है तो संवैधानिक पदों व संस्थाओं के लिए तो आरक्षण है ही नहीं।

स्टैंडिग कमेटी ने भी यह कहा कि यह आरक्षण वांछित नहीं है। इस बिल में इन्होंने केवल संवैधानिक संस्थाओं के लिए आरक्षण ही नहीं किया केवल 50 प्रतिशत की सीमा को नहीं बढ़ाया, बल्कि धर्म आधारित आरक्षण लेकर आए हैं। आज जो हम कर रहे हैं, वह हिन्दुस्तान के लिए सही नहीं होगा। मजहब पर आधारित आरक्षण इस देश में विभाजन का दूसरा बीज बोने का काम करेगा। एक पेटेंटली अनकांस्टीटयूशनल बिल यहां से पारित हो, यह हम कैसे सहेंगे? इसलिए मैंने इनसे कहा कि बिल आर्टिकल 252 के नीचे ले आओ और मजहब आधारित आरक्षण संविधान–सम्मत नहीं है, इसलिए उसको संविधान सम्मत बनायें। मेरा आरोप है कि यह बिल बहुत कमजोर है।

हमने यह चाहा था कि सी॰बी॰आई॰ को सरकारी शिकंजे से मुक्त किया जाए मगर उल्टा हुआ। सी॰बी॰आई॰ तो शिकंजे से निकली नहीं मगर लोकपाल सरकार के शिकंजे में आ गया। लोकपाल की नियुक्ति में जब हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रख लिया तो फिर ज्यूरिस्ट की क्या जरूरत है? मेरा संशोधन है कि वहां नेता प्रतिपक्ष, राज्य सभा को साथ में रखा जाना चाहिए। लोकपाल के अप्वाइंटमेंट में सरकारी पक्ष की बहुलता है और हटाने का तरीका तो और भी निराला है। सरकार द्वारा लोकपाल को हटाया जाएगा एवं नियुक्त किया जाएगा और आप कहते हैं कि यह बड़ा प्रभावी, स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। यह कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि सरकारी शिकंजे में जकड़ा हुआ लोकपाल है। यह अनेकानेक विकृत्तियों और विसंगतियों से भरा हुआ बिल है। प्रधानमंत्री जी को लोकपाल के दायरे में इतने कवच, कुंडल पहनाकर लाए हैं कि उन्हें कोई छू ही नहीं सके।

प्रधानमंत्री के बारे में जो शिकायत आएगी, उस पर लोकपाल का फुल बैंच बैठेगा। तीन–चौथाई जज यह तय करेंगे कि शिकायत पर कार्यवाही होनी चाहिए तो कार्यवाही होगी वर्ना नहीं। यह तीन–चौथाई का कॉन्सेप्ट कहां से आया? मैंने दो–तिहाई का संशोधन दिया है। इस बिल में एक धारा 24 जोड़ा गया है। कहां से वह धारा आयी, मुझे नहीं मालूम। स्टैंडिग कमेटी में चर्चा नहीं हुई, तो कहां से आया यह प्रावधान, कहां से आयी है यह धारा? सी॰बी॰आई॰ वह यंत्र है, जो सरकार के अल्पमत को बहुमत में बदलता है।

निचले स्तर के कर्मचारियों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधीन रखा गया है और सिटीजन चार्टर विधेयक स्थायी समिति के पास हैं। हम चाहते हैं कि सशक्त प्रभावी और संविधानसम्मत लोकपाल आए इसलिए हमारे ये सारे संशोधन स्वीकार करके इस बिल को सुधारें नहीं तो विधेयक को वापस लिया जाए तथा वापस स्थायी समिति को भेजा जाए और सरकार एक ऐसा विधेयक लाए जो देश की जनता की भावनाओं पर खरा उतरे।

इसलिए हम चाहते थे कि सीबीआई सरकारी शिकंजे से निकले, लेकिन अब उसमें चार बॉस बन गए हैं। समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों के लिए वह लोकपाल को, समूह 'ग' और 'घ' के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग और न्यायालय के निर्देश पर दिए गए मामलों को न्यायालय को रिपोर्ट करेगी और उस पर प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण डीओपीटी का होगा। सीबीआई के अंदर उसकी जांच और अभियोजन विंग अलग की जानी चाहिए और उसका प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण लोकपाल को दिया जाए ताकि वह सरकार के शिकंजे से निकले और एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में काम कर सके। इससे लोकपाल को एक सुस्थापित जांच एजेंसी भी मिल जाएगी और देश में भ्रष्टाचार से लड़ने का एक मजबूत तंत्र भी खड़ा हो जाएगा। लोकपाल के दायरे में हिन्दुस्तान के सारे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्धारे, चर्च, स्कूल एवं अस्पताल लाए गए हैं किन्तु निचले स्तर के 57 लाख कर्मचारी इसके दायरे में नहीं रखे गए हैं।

सरकार ने सदन की भावना की भी अवहेलना की है। यह भावना निचले स्तर के कर्मचारियों, लोकपाल और लोकायुक्त तथा सिटीजन्स चार्टर के लिए भी, लोकपाल और लोकायुक्त पर भ्रम है। निचले स्तर के कर्मचारियों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधीन रखा गया है और सिटीजन चार्टर विधेयक स्थायी समिति के पास हैं। हम चाहते हैं कि सशक्त प्रभावी और संविधानसम्मत लोकपाल आए इसलिए हमारे ये सारे संशोधन स्वीकार करके इस बिल को सुधारें नहीं तो विधेयक को वापस लिया जाए तथा वापस स्थायी समिति को भेजा जाए और सरकार एक ऐसा विधेयक लाए जो देश की जनता की भावनाओं पर खरा उतरे।■

यह एक आधा-अधूरा कानून है : अरुण जेटली

लोकसभा में पारित हो चुके लोकपाल विधेयक पर 29 दिसम्बर 2011 को राज्यसभा में बहस हुई। इसकी शुरुआत करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने कहा कि यह विधेयक कमजोर है लेकिन सदन को एक प्रभावी लोकपाल विधेयक पारित किए बगैर अपने कदम पीछे नहीं खींचने चाहिए। प्रस्तुत है श्री जेटली के भाषण का सारांश :–

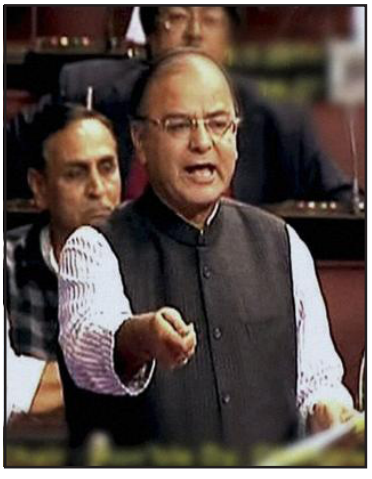

मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपने विभिन्न साथियों की ओर से इस देश में एक मजबूत, निष्पक्ष और दृढ़ लोकपाल कानून बने, इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन एक कमजोर और खोखले लोकपाल का पूरी शक्ति से विरोध करने के लिए भी खड़ा हुआ हूं। इसको संशोधनों के साथ पारित करके आज राज्य सभा साबित कर दे कि चुने हुए प्रतिनिधि इस देश के लिए वचनबद्ध हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वे अवश्य एक अच्छा कानून बनाएंगे। वित्तमंत्री जी ने जो 27 अगस्त को प्रकट की थी वह इस सदन की भावना थी। लेकिन इस देश की भी एक भावना है कि हमारी चुनी हुई सरकार, हमारे सांसद, हमारी दोनों सभाएं एक मजबूत लोकपाल कानून का निर्माण करें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह कानून संसद में पहली बार 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग के आधार पर लाया गया था। यह कानून पिछले 44–45 वर्षों में आठ बार आया। आम आदमी के सामने जमीन, खनन, शराब, राजस्व और नगरपालिकाओं से जुड़े मुद्दों के संबंध में कितनी परेशानी है और वहां कितना भ्रष्टाचार है उसको लेकर एक चिंता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का हमने जो एक पूरा तंत्र बनाया है वह अपने आप में बहुत मजबूत नहीं है। इस परिस्थिति में सुधार लाने हैं। क्या वे आधे–अधूरे कानून से आ जाएंगे? और मुझे खेद है कि यह एक आधा–अधूरा कानून है। जो कमजोर कानून चाहते हैं, इस देश की जनता उनका माफ नहीं करेगी।

आप खोखला लोकपाल बनाना चाहते हैं और धुंधलापन खड़ा करना चाहते हैं कि हम इसे संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं। लोकपाल एक संवैधानिक संस्था होगी। लेकिन उसकी जांच एजेंसी का नियंत्रण जब सरकार करेगी तो वह अपने आप में खिलौना बन जायेगा।

सरकार की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी कि इस पूरी बहस के सामने एक धुंधलापन खड़ा कर दीजिए, दर्जा संविधान का दे दो और खोखला कानून बना दो। आप खोखला लोकपाल बनाना चाहते हैं और धुंधलापन खड़ा करना चाहते हैं कि हम इसे संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं। लोकपाल एक संवैधानिक संस्था होगी। लेकिन उसकी जांच एजेंसी का नियंत्रण जब सरकार करेगी तो वह अपने आप में खिलौना बन जायेगा। आप इसे खिलौना बनाना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है। यह खेल को बदल देगा। यदि आप एक प्रभावी संस्था अवश्य बनाते हैं तो खेल बदल जायेगा। यह स्पष्ट कर दीजिए कि संवैधानिक प्राधिकरण है। यह स्पष्ट कर दीजिए कि संवैधानिक संस्था बनाते वक्त आप राज्यों के अधिकारों के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। संशोधन इसलिए था कि आप यह कह दीजिए कि यह संविधान की धारा 252 के तहत कानून होगा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और संघीय ढांचे के बीच में कोई अंतर्विरोध नहीं है। दोनों साथ–साथ हो सकते हैं। मैं तीन बुनियादी आधार पर इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस विधेयक में आप नियुक्ति और निष्कासन तंत्र पर नियंत्रण रखना चाहता हूं। आपने जांच की एक असंभव प्रणाली तैयार की है। आपने जांच एजेंसी को इस तरह से सरकार के नियंत्रणाधीन रखा है कि एक संस्था के रूप में लोकपाल स्वयं में एक खिलौना बनकर रह जायेगा। आप लोकपाल को

सिविल सोसाइटी के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाला बनाना चाहते हैं। सरकार जान–बूझकर ऐसा कानून लाई है जो संवैधानिक रूप से कमजोर हो। हम लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया का समर्थन करेंगे किंतु हम किसी ऐसी संस्था का समर्थन नहीं करेंगे जहां नियुक्ति और निष्कासन पर सरकार का नियंत्रण हो। यह कोई विचारधारा का प्रश्न नहीं है। इसे प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाइये। इस कानून में जांच अधिकारी के पास चार्जशीट दाखिल करने का अधिकार नहीं होगा। किसके विरूद्ध मुकदमा किया जाए यह जांच अधिकारी का अधिकार होता है। जिसने भी इस तंत्र का निर्माण किया है वह इस अवधारणा से पूर्णतः अनभिज्ञ है कि आपराधिक मामले में जांच की प्रक्रिया क्या है। हम सभी यह कह रहे हैं कि यह तंत्र कारगर नहीं है। सीबीआई को स्वतंत्र रखा जाना चाहिए। निजी संस्थाओं और गैर–सरकारी संगठनों, जो सरकार से आर्थिक मदद नहीं लेते हैं उन्हें लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके द्वारा हम एक ऐसी हस्तक्षेपकारी संस्था स्थापित करने जा रहे हैं जो निजी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी घुसपैठ करेगी। यदि आप इस देश को एक नियंत्रणाधीन शासन–पद्धति बनाना चाहते हैं तो हम इसका समर्थन करने नहीं जा रहे हैं। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि लोकायुक्त या लोकपाल विधायिका द्वारा बनाये गये कानून के तहत स्थापित होंगे। हमारा संविधान संघीय ढांचे का संविधान है। केन्द्र और राज्यों की शक्तियां स्पष्टतः विभाजित हैं। इस विधेयक का खण्ड 81 कहता है कि लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र दो होंगे, एक तो आपराधिक कानून का अधिकार क्षेत्र और दूसरा प्रशासनिक कार्रवाई का अधिकार क्षेत्र।

हमने 'सभा की भावना' का संकल्प पारित किया था। समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों और 'सिटीजन चार्टर' को लोकपाल के तहत रखने के प्रति प्रतिबद्ध दर्शायी गई थी। जहां तक लोकायुक्त का संबंध है, इस संबंध में संवैधानिक रूप से सही तरीके से कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संस्था के निर्माण से पहले ही आप इसे तोड़ना चाहते हैं। एक शक्तिशाली और स्वतंत्र लोकपाल गठित किए जाने की आवश्यकता है। प्रभावी लोकपाल के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसी की आवश्यकता है।

प्रविष्टि 41 में कहा गया है कि राज्य की सेवाओं से संबंधित अधिकार राज्यों में निहित हैं। अनुशासनिक कार्यवाही अनुषंगी अधिकार नहीं है, यह स्वायत्त अधिकार है। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसके द्वारा राज्य के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई केन्द्रीय कानून के अधीन की जाएगी। यह कार्यवाही राज्य के विधान के द्वारा ही की जा सकती है। इस स्थिति में, राज्य सरकारें अपनी सरकारें चला नहीं पाएंगी। आप धारा 252 के तहत कानून लाइए। विकल्प संबंधी उपबंध अन्य किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं बल्कि अनुच्छेद 252 के अंतर्गत ही उपलब्ध है। आप के पास केवल दंड विधि संबंधी शक्ति है, आपके पास अनुशासनिक कार्यवाही करने संबंधी शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 253 के अधीन लिए गए निर्णय उस अभिसमय के अंतर्गत लागू होते हैं। लेकिन अभिसमय यह कहीं नहीं कहता कि अभिसमय के तहत निर्धारित व्यवस्था को तोड़ दिया जाए। राज्यों के अधिकारों को आप कुचलते जा रहे हैं। एक नया संविधान तैयार किया जा रहा है। यह सरकार अब 'संवैधानिक कॉकटेल' बनाने की कोशिश कर रही है। यदि विधान 253 के अधीन बनाया गया है तो विकल्प का कोई उपबंध नहीं होता है। 253 के अधीन ये अधिकांश विधियां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों के अधीन थीं। राज्य की सेवाओं से संबंधित प्राधिकार केवल राज्य विधायिका में ही निहित हो सकता है। यदि आपके पास समवर्ती सूची के अंतर्गत प्राधिकार है तो राज्यों के पास प्राधिकार नहीं होगा। हम विधि बनाए जाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं और सही संवैधानिक पद्धति का अनुसरण किया जाना चाहिए। जिस तरीके से राज भवन ने वर्षों तक नियुक्ति को टाला था वह एक बेहतर मामला है कि हमें क्यों ऐसा सांस्थानिक तंत्र स्थापित करना चाहिए जिस पर सरकार का नियंत्रण न हो। हम आरक्षण के समर्थक हैं। आप ऐसा कानून ला रहे हैं, जिस पर संवैधानिक दृष्टि से आपत्ति हो सकती है। हमने 'सभा की भावना' का संकल्प पारित किया था। समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों और 'सिटीजन चार्टर' को लोकपाल के तहत रखने के प्रति प्रतिबद्ध दर्शायी गई थी। जहां तक लोकायुक्त का संबंध है, इस संबंध में संवैधानिक रूप से सही तरीके से कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संस्था के निर्माण से पहले ही आप इसे तोड़ना चाहते हैं। एक शक्तिशाली और स्वतंत्र लोकपाल गठित किए जाने की आवश्यकता है। प्रभावी लोकपाल के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसी की आवश्यकता है। हमारे कुछ साथियों द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनों को स्वीकार किया जाए ताकि एक शक्तिशाली लोकपाल बनाया जा सके। ■

सर्वोपरि है सदन का परमाधिकार न कि सभापति : शांता कुमार

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शान्ता कुमार द्वारा 1 जनवरी 2012 को जारी प्रेस वक्तव्य

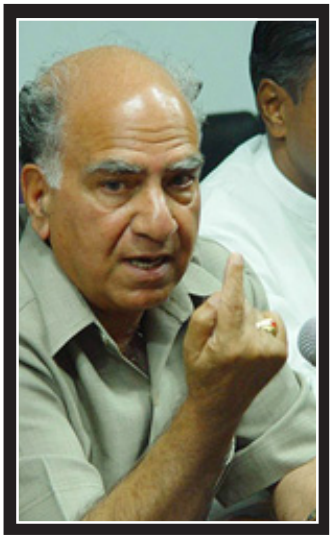

Hkkरतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शांता कुमार एवं सांसद (राज्यसभा) ने कहा है कि राज्यसभा के सभापति ने 29 दिसम्बर मध्य रात्रि को लोकपाल की बहस के दौरान राज्यसभा को स्थगित करने में संसद की संप्रभुता के सिद्धांतों के अनुसार आचरण नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यदि सभापति की अनुमति होती तो राज्यसभा का कामकाज मध्यरात्रि के बाद भी चल सकता था। उन्होंने कहा कि विभिन्न अवसरों पर सुप्रीम कोर्ट को सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह ऐसी स्थितियों में संसद की सुप्रीमेसी का अनुसरण करे।

श्री शांता कुमार ने कहा कि राज्यसभा सदस्यों का बहुमत लोकपाल बिल को स्वीकार करने के लिए मध्यरात्रि के बाद भी चलते रहने के पक्ष में था। उन्होंने कहा कि सभापति को बैठक का समय बढ़ाना चाहिए था ताकि बिल को पारित करने की औपचारिकताएं पूरी की जातीं।

हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए श्री शांता कुमार ने कहा कि 1978 में मुख्यमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व के कार्यकाल में ऐसी ही परिस्थितियां स्पीकर के चुनाव के विषय में विधानसभा में पैदा हुई थीं। उन्होंने कहा कि यह वह समय था जब जनता पार्टी राजनैतिक हंगामे से गुजर रही थी और हिमाचल प्रदेश विधान सभा को स्पीकर का चुनाव करना था। उन्होंने कहा कि जनता पार्टी के अन्य घटक से विधान का डिप्टी स्पीकर होने के नाते वे प्रस्ताव के हक में नहीं थे और उन्होंने कोई न कोई बहाना बनाकर विधानसभा को स्थगित कर दिया और सदन छोड़ कर चले गए। सदस्य सदन में बैठे रहे और विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर यह इच्छा प्रगट की गई कि स्पीकर का चुनाव एक ही बैठक में पूरा करने के लिए सदन की कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। सदन ने एक प्रो–टर्म स्पीकर का चुनाव किया और स्पीकर का चुनाव पूरा किया। उन्होंने कहा कि ठाकुर सेन नेगी को स्पीकर चुना गया और उनके चुनाव को विपक्ष ने अदालत में चुनौती दी। श्री शांता कुमार ने कहा कि वह इस स्थिति को पहले से जानते थे और प्रख्यात वकील श्री एलएम सिंघवी से परामर्श किया जिन्होंने बताया कि यदि सदन में पूरा बहुमत है तो सदन स्पीकर का चुनाव कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि न्यायालय में लम्बी कशमकश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया जिसमें कहा गया कि मूल बात यही है कि सदन ही 'मास्टर' होता है न कि प्रेजाइडिंग अफसर। बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपने निर्णय में पूछा था कि ''सदन ही 'मास्टर होता है, न कि चेयरपर्सन।''

श्री शांता कुमार ने कहा कि 29 दिसम्बर को यूपीए सरकार मतदान से बचने के लिए सदन से भाग खड़ी हुई और इस प्रकार उसने भ्रष्टाचार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कुछेक राजनैतिक दलों और कांग्रेस ने देश में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए अपने निजी हित बना लिए हैं। या तो वे राज्यसभा में लोकपाल बिल को लाना ही नहीं चाहते या फिर ये बिल आ जाता हो तो वे चाहते हैं कि यह एक कमजोर और अधूरा बिल बना रहे।

श्री शांता कुमार ने कहा कि लोकपाल बिल मामले में सरकार का पर्दाफाश हो चुका है। इसे देखते हुए, भारत के लोगों को संदेह है कि अब यह बिल बजट सत्र में विचारार्थ प्रस्तुत होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इस नाकारा और भ्रष्ट सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और लोगों को वर्तमान यूपीए सरकार की इन बुरी मंशाओं को समझ कर एकजुट हो जाना चाहिए।■

उत्तराखण्ड में भाजपा की फिर सरकार बनना तय : बिशन सिंह चुफाल

जनप्रिय नेता के रूप में ख्यात उत्तराखण्ड प्रदेश भाजपाध्यक्ष श्री बिशन सिंह चुफाल चार बार विधायक एवं प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। प्रदेश में 30 जनवरी 2012 को विधानसभा चुनाव होने हैं। इस निमित्त 'कमल संदेश' की ओर से डॉ. शिवशक्ति बक्सी एवं संजीव कुमार सिन्हा ने उनसे नई दिल्ली में बातचीत की। श्री चुफाल का कहना है संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल है। संगठन के माध्यम से हमने सरकार की उपलब्धियां जन–जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उनका मानना है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इसलिए इस बार भी प्रदेश में दो तिहाई बहुमत से भाजपा की सरकार अवश्य बनेगी। प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंशः–

- उत्तराखण्ड में पिछले पांच वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन पांच वर्षों में भाजपा सरकार की उपलब्धियां क्या रही जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं?

उत्तराखण्ड में भाजपा शासन में जो हमने पांच साल काम किए हैं उसी के आधार पर हम 2012 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। हमने सबसे पहला काम किया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 108 पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य सेवाएं को लागू किया। दूरदराज के क्षेत्र में जहां पर डॉक्टर नहीं थे वहां के लोगों को इससे बहुत राहत मिली। इससे हजारों की संख्या में लोगों की जानें बचीं। अस्पताल में स्वस्थ नवजात बच्चे पैदा हुए।

उसके बाद हमने सरकार बनते ही पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की। इससे महिला–सशक्तिकरण को बल मिला। महिला आगे बढ़े। इसके अलावा महिलाओं के लिए प्रदेश में हमने गौरा कन्या धन योजना बनाई, इसके तहत जो लड़कियां इंटर पास करती हैं, उसे आर्थिक सहयोग मुहैय्या कराया। परिवार में कन्या पैदा होती है तो नन्दादेवी कन्या योजना पन्द्रह हजार रूपए में डॉक्टर की पढ़ाई सुनिश्चित की। नौकरी में पारदर्शिता रखी। उत्तराखण्ड में लिखित परीक्षा होती थी, उसके बाद साक्षात्कार होता था, लिखित परीक्षा में तो युवा पास हो जाते थे लेकिन साक्षात्कार में उसको कम नम्बर आते थे। जिसकी पहुंच होती थी उसी की नियुक्ति होती थी। परन्तु अब मेधावी छात्र नौकरी पा रहे हैं। इसके अलावा जो हमने सबसे बढ़िया काम किया उत्तराखण्ड में, क्योंकि केन्द्र सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई थी, उसके चलते आम आदमी का जीना दूभर हो गया, उसको लेकर हमने सोचा कि सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाये, तो संसाधन और खाद्यान्न की व्यवस्था की। आज पूरे प्रदेश में एपीएल और बीपीएल परिवारों को भी सस्ता राशन दे रहे हैं। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भुवनचन्द्र खंडूरी जी ने प्रदेश में लोकायुक्त बिल लाया जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो सके और विकास कार्यक्रमों में लोगों को उसका लाभ मिले। उसे लेकर भी हम जनता के बीच में जाएंगे। सेवा का अधिकार, जिसके माध्यम से लोगों को समय पर प्रमाणपत्र कार्यालय से समय पर मिल पाएंगे। एक काम महत्वपूर्ण

किया कि पहले से जो हमारे हकहुकुक थे, हमारा अधिकार था वह वापस किया गया। वन अधिनियम 1980 लागू होने से वो हमारे हकहुकुक समाप्त हो गये थे। जिससे विकास कार्य अवरूद्ध हो गये थे। इस समय उस काला कानून को समाप्त करके जो हमारी सिविल भू–भाग हुआ करती थी, जो बंजर भूमि है, अब उस पर निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं और भारत सरकार से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार जिनके पास भूमि न हो उनको भूमि आवंटन हो सकती है। इन विकास कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे।

- भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो उसमें संगठन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि भाजपा संगठन आधारित राजनीतिक पार्टी मानी जाती है। इसमें अनुशासन और विचारधारा का बहुत महत्व है। संगठन और सरकार के बीच पिछले पांच वर्षों में कितना तालमेल रहा और संगठन ने ऐसे क्या-क्या काम किए जिससे सरकार जनहित के कार्य कर पाई?

देखिए, पिछले पांच सालों में सरकार और संगठन में बिल्कुल आपस में तालमेल रहा है। संगठन के माध्यम से हमने सरकार की उपलब्धियां जन–जन तक पहुंचाने का काम किया। हमारे पास 6 मोर्चे हैं और 35 प्रकोष्ठ। उनके पदाधिकारी हैं। मंडल स्तर और जिले स्तर पर हमारी पूरी कार्यकारिणी गठित हो चुकी है। इस कार्यकारिणी के माध्यम से हमने अनेक कार्यक्रम किए। पार्टी के मंडल और जिले स्तर पर हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम किए। महिला और युवा मोर्चे के भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की गतिविधियों का कैसे प्रचार किया जाये, इसे लेकर तीन दिनों का प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम से लोगों को काफी जानकारी भी मिली। प्रदेश में आज संगठन बूथ स्तर तक गठित है। प्रदेश में एक टीम गठित हुई है जो भाजपा सरकार के पांच साल के कामों को जनता के बीच ले जा रही है। साथ में जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने संसद में प्रदेश के हक में आवाज बुलंद की कि हमें औद्योगिक पैकेज, दैवीय आपदा का पैसा, आर्थिक पैकेज नहीं मिला, इससे भी जन–जन को अवगत करा रहे हैं। हमारी पार्टी कैडर आधारित संगठन है। निश्चित रूप से संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल है। सबका उद्देश्य है 2012 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाना।

- संगठन का एक कार्य यह भी है कि आम जनता के लिए अच्छा नेतृत्व तैयार करना और चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो किस आधार पर संगठन वहां उम्मीदवारों का चयन करेगी ताकि अच्छे प्रत्याशी जनता के सामने चुनकर आएं?

इस बार हमने विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अच्छे उम्मीदवारों के चयन हेतु मंडल और जिला स्तर पर टीमें गठित की। सारे कार्यकर्ताओं से पूछताछ करके, उनके सुझाव के आधार पर नाम तय किए गए। फिर उसके बाद उन नामों को लेकर प्रदेश चुनाव समिति में विचार किया गया। प्रत्याशी के चयन का आधार यह है कि कार्यकर्ताओं की जनता के बीच छवि अच्छी हो और उसके जीतने की संभावना हों। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को नीचे से चयन करके प्रदेश चयन समिति ने केन्द्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा। प्रदेश चयन समिति में प्रदेश चुनाव प्रभारी थावरचंद गहलोत के साथ विचार–विमर्श कर इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि सर्वसम्मति से प्रत्याशियों के नाम तय हों।

-हाल ही में उत्तराखण्ड में लोकपाल बिल पारित किया गया। राज्य में ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे स्वच्छ प्रशासन और जनहित की सरकार देने की बात की गई। इसका क्या असर जनता के बीच देखने को मिल रहा है और इस कानून को जनता का कितना समर्थन मिल रहा है?

प्रदेश में जो लोकपाल बिल आया, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आया। मुख्यमंत्री भुवनचन्द्र खंडूरी जी ने यह बिल लाकर पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। भ्रष्टाचारमुक्त राज्य की दिशा में हमने सशक्त पहल की। इसका 2012 के चुनाव में निश्चित रूप से हमको फायदा मिलेगा। जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो।

- उत्तराखण्ड में कांग्रेस की जो पिछली सरकार रही है और वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है। इन दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं, जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा सकते हैं?

पांच साल पहले कांग्रेस शासन में कितने काम हुए? तब कितनी किलोमीटर सड़कें बनी? कितनी पेयजल योजनाएं बनी? कितने हैंडपंप लगे? कांग्रेस ने पांच साल में कितना काम किया और हमने पांच साल में कितना, इसका तुलनात्मक चार्ट लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस से कई गुना अधिक हमने काम किया। रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी हमने बेहतर काम किया। हमारे शासन में आर्थिक विकास दर बहुत अधिक बढ़े। हमें पूरी उम्मीद है कि भाजपा को दो तिहाई बहुमत अवश्य मिलेगा। ■

भाजपा-शि.अ.द. गठबंधन अपने बेहतर विकास के आधार पर सत्ता में लौटेगा : अश्विनी शर्मा

श्री अश्विनी शर्मा पंजाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। लगभग दो वर्ष वह इस पद पर सर्वसम्मति से चुने गए थे और तभी से उन्होंने पार्टी में युवाओं का जोश और गतिशीलता प्रदान कर आगे बढ़ाया है। उन्होंने पिछले एक वर्ष से चुनावी रंग में लाकर बूथ स्तर तक की गहन तैयारी की है। यही कारण रहा है कि पंजाब में चुनाव तिथियों की घोषणा पर हर तरह की बाधा पार कर ली है। वह पूरे विश्वास से कहते हैं कि भाजपा–शि.अ.द. गठबंधन पहले से बेहतर बहुमत प्राप्त कर सत्ता में आएगा, ''जिसका श्रेय लम्बे चौड़े वायदों पर न होकर हमारा वास्तविक प्रदर्शन होगा।'' भाजपा साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री अम्बाचरण वशिष्ठ ने श्री अश्विनी शर्मा से पिछले सप्ताह नई दिल्ली में बातचीत की। वह स्वयं भी पठानकोट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं:–

- अब जबकि पंजाब में चुनाव तिथियों की घोषणा हो गई है तो आप भाजपा को इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार पाते हैं?

भाजपा चुनाव का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव तिथियों की घोषणा होने पर सक्रिय हुए हैं। हम निरंतर अबाध रूप से पिछले एक वर्ष से तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारी तैयारी पूरे जोश–खरोश के साथ बूथ स्तर तक पहुंची है। हमने जालंधर में 23 दिसम्बर को एक विशाल रैली का आयोजन किया था जो भाजपा के इतिहास में सबसे बड़ी रैली थी। इससे पार्टी की एकता और शक्ति का पता चलता है। यह रैली भाजपा– शि.अ.द. गठबंधन की मजबूती का दर्पण था। इस विशाल रैली को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने सम्बोधित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल तथा उप–मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल भी इस अवसर पर मौजूद थे और उन्होंने लोगों को सम्बोधित किया। पंजाब प्रदेश के प्रभारी एवं पार्टी उपाध्यक्ष श्री शांता कुमार और चुनाव–प्रभारी श्री जगत प्रकाश नड्डा भी रैली में उपस्थित थे। कार्यकर्ता उत्साह से भरपूर थे और उन्हें विश्वास है कि गठबंधन की जीत होगी। एक तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं का मूड ऐसा बना हुआ था कि जैसे वे चुनाव का उत्सव मना रहे हों।

- पिछली बार की तुलना में चुनाव का परिदृश्य आज कितना अलग दिखाई पड़ता है?

केवल इतना ही अंतर है कि पिछली बार हम सत्ता में नहीं थे और हम एक स्वच्छ और कुशल प्रशासन के वायदे पर लोगों से जनादेश मांग रहे थे। आज, हम सत्ता में हैं भाजपा– शि.अ.द. गठबंधन लोगों की उम्मीदों पर एकदम खरी उतरी है। हमने जवाबदेही और पारदर्शिता का परिचय दिया है। पिछले पांच वर्षों में जिस गति और विस्तार से विकास हुआ है, वह स्वयं में एक रिकार्ड है कि भाजपा– शि.अ.द. गठबंधन के शासन में की गई प्रगति की रतार में किसी भी तरह का नुक्स निकालने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस के पास कुछ भी तो नहीं है। अब जो कुछ भी वह कर रही है, वह केवल अधिकारियों और लोगों को यह कहकर धमकी देने में लगी है कि यदि हम सत्ता में आ गए तो हम बदला लेकर रहेंगे जिसके लिए वह 'मार दियांगे, काट दियांगे' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास हमारे काम को

चुनौती देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम जनता के प्रति अधिक जवाबदेह हैं। हमारे गठबंधन ने पिछले कांग्रेस–शासन की तुलना में कहीं बेहतर काम करके दिखाया है।

- शि.अ.द. ने भाजपा के लिए २३ सीटें छोड़ी हैं। क्या आप इससे संतुष्ट हैं?

हां, हमने इतनी ही सीटें मांगी थी। दो–सीटों की अदला–बदली हुई है, परन्तु भाजपा की सीटों की संख्या उतनी ही रही है।

- क्या शि.अ.द. और भाजपा के बीच सीटों की संख्या या किसी विशेषज्ञ चुनाव क्षेत्र के बारे में कोई समस्या रही है?

नहीं, कोई समस्या नहीं। गठबंधन पूरी तरह से एकजुट होकर और पूर्ण सद्भावना से एक इकाई और एकजन के रूप में चुनाव लड़ रहा है।

- प्रत्याशियों के चयन का क्या सिद्धांत रहा है?

स्वच्छ छवि, विजय–योग्यता, संगठन तथा पार्टी विचारधारा के प्रति वचनबद्धता एवं पार्टी कार्यक्रमों और नीतियों के संवर्धन व कार्यान्वयन में योगदान को आधार बनाया गया है।

- इस बार परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार चुनाव होंगे। इससे भाजपा को कितना लाभ या नुकसान हो सकता है?

परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों के बाद यह पहला चुनाव होना है। भाजपा ने शि.अ.द. से दो सीटों की अदला–बदली की है। फिर भी, इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे गठबंधन को इससे लाभ ही होगा।

- इस बार आपको भाजपा की कितनी सफलता मिलने की आशा है?

भाजपा ने सदैव ही प्रदेश की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई है। हम भविष्य में ऐसा ही करते भी रहेंगे। गठबंधन सरकार भाजपा पर आश्रित रहेगी। हांलाकि भाजपा केवल 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, फिर, भी भाजपा सभी 117 सीटों पर अपना प्रभाव डालेगी। यथापूर्व, इस बार भी भाजपा का पंजाब में सरकार बनाने में सहयोग प्रमुख और निर्णायक बना रहेगा।

- चुनावी दृश्यावली में किन-किन मुद्दों की प्रधानता होगी?

बादल सरकार की उपलब्धियों में एक विशेष बात रही है कि उसके शासन में 5 नई बिजली परियोजनाओं की स्थापना के साथ चौबीसों घण्टे बिजली की आपूर्ति हुई है। एक वर्ष के बाद हम बिजली का विक्रय कर रहे होंगे जैसा कि हम बाजार में कृषि उत्पादों का विक्रय करते हैं। कांग्रेस शासन के दौरान हमने देखा है कि रोजना 7 घण्टे बिजली की कटौती होती थी। कारोबारी स्थापनाओं को सायं 7 बजे बंद करने के निर्देश दिए जाते थे।

भाजपा–शि.अ.द. सरकार ने अत्यंत पारदर्शी ढंग से 1,10,000 युवाओं को रोजगार प्रदान कर रिकार्ड बनाया है। सरकार को एक भी तो शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अपने शासनकाल में सरकार ने समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा है।

- शि.अ.द.-भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर मनप्रीत बादल फैक्टर का कितना असर होगा?

इसका गठबंधन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके नजदीकी दो समर्थकों ने पहले ही उसे छोड़ दिया है।

- बसपा ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। इससे चुनाव परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

बसपा से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। जहां कहीं भी बसपा का कोई विशेष प्रभाव होगा, उससे हमारे गठबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- लोगों को आपके गठबंधन को क्यों वोट देना चाहिए?

क्योंकि लोगों ने देखा है कि हमने कितनी तेज गति से अद्वितीय विकास कार्य करके दिखाया है। हम अपने वायदों के आधार पर लोगों से वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि इसका आधार हमारा शानदार प्रदर्शन है। इससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस–शासित केन्द्र में जबरदस्त भ्रष्टाचार है, रिटेल ट्रेड में यूपीए सरकार द्वारा 51 प्रतिशत एफडीआई निवेश के प्रस्ताव की अनुमति के खिलाफ गहरा आक्रोश है, बढ़ती कीमतें और राजनैतिक आधार पर पंजाब के साथ भेदभाव– यह सभी बातें कांग्रेस के खिलाफ जाती हैं।

- क्या आप समझते हैं कि भाजपा- शि.अ.द. गठबंधन फिर से सत्ता में लौटेगा?

निश्चित ही, बल्कि पिछली बार से कहीं अधिक बहुमत लेकर वापस सत्ता में आएगा।

- आपके गठबंधन के सकारात्मक और नकारात्मक बिन्दू क्या हैं?

हमारे गठबंधन ने लोगों का विश्वास जीता है। कांग्रेस के पास कोई भी सकारात्मक कार्रवाई और विकास योजना नहीं है। कांग्रेस किसी भी प्रकार की रचनात्मक वायदे नहीं कर पा रही है। वह केवल ब्यूरोक्रेसी और हमारे समर्थकों को धमकी देने में लगी है कि हम सत्ता में लौटे तो उन्हें बुरे परिणाम भुगतने होंगे।■

हार्ड पॉवर, साफ्ट पॉवर, स्मार्ट पॉवर

& ykyÑ".k vkMok.kh

इन् 2011 के अंतिम महीनों में मैं जनचेतना यात्रा पर था। उसके चलते मैंने ब्लॉग लिखने से छुट्टी ले ली थी। सन् 2012 के पहले शुरूआती महीने में मैं फिर से ब्लॉग शुरू कर रहा हूं। यहां यह स्मरण कराना समीचीन होगा कि 1957 में दूसरे आम चुनावों के बाद मैं राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात् का पहला दशक बिताने के बाद दिल्ली आया था।

यही वह चुनाव था जिसमें पहली बार श्री वाजपेयी लोकसभा के लिए चुनकर आए थे।

पार्टी के महासचिव और हमारे मुख्य विचारक पण्डित दीनदयाल उपाध्याय चाहते थे कि मैं पार्टी के संसदीय कार्यालय को स्थापित कर उस समय के पार्टी के सांसदों के छोटे समूह की सहायता करूं। तब से मैं पार्टी के संसदीय दल से निकटता से जुड़ा हूं। जो आज भी जारी है।

हाल ही में समाप्त हुए वर्ष का सिंहावलोकन करते समय मैंने एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी को बधाई दी थी, जिनके नेतृत्व में पार्टी "अपेक्षाकृत रूप से मजबूत और ज्यादा जीवंत" बनी है।

जहां तक संसद के दोनों सदनों का सम्बन्ध है, जनमत इस पर एकमत है कि हमारी पार्टी के दोनों नेता सुषमा स्वराज और अरूण जेटली सदैव संसद की बहसों में उत्कृष्ट योगदान करते हैं। इन दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं पर पार्टी को गर्व है।

सदन में न केवल उनकी व्यक्तिगत परफोरमेंस के चलते उन्हें प्रशंसा मिलती है और बहस का स्तर बढ़ता है अपितु पार्टियों के साथ उनके प्रबन्धन ने भी संसद में भाजपा को वास्तव में एक प्रभावी विपक्ष बनाया है।

जनसंघ के दिनों से ही, संसद सत्र में प्रत्येक मंगलवार को दोनों सदनों से पार्टी के सारे सांसद नियमित रूप से मिलते हैं और बीते सप्ताह में हुई कार्रवाई पर विचार कर, आगामी सप्ताह में आने वाले विषयों पर मंत्रणा करते हैं। भाजपा सांसदों ने मुझे बताया कि निजी बातचीत में अनेक कांग्रेसी सांसद इससे "ईर्ष्या करते हैं कि भाजपा सांसद कितनी आसानी से अपने नेताओं से बात कर लेते हैं और इन साप्ताहिक बैठकों में निःसंकोच कोई भी मुद्दा उठाने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती।

1975–77 में आपातकाल के दौरान बंगलौर केंद्रीय कारागार में बंदी के रूप में मुझे एल्विन टॉलर की पुस्तक Future Shock पढ़ने का अवसर मिला, और मैं लेखक का प्रशंसक हो गया। बाद में मैंने उनकी पुस्तक THIRD WAVE और POWER SHIFT पढ़ी। 'पॉवर शिफ्ट' पुस्तक में विस्तार से सत्ता के तीन प्रमुख स्रोतों पर फोकस किया गया है: सेना, धन और ज्ञान तथा इसमें सत्ता के एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र के बदलने के इतिहास को बताया गया है, और कैसे वर्तमान युग में ज्ञान आधारित समाज अपेक्षाकृत रूप से

1975–77 में आपातकाल के दौरान बंगलौर केंद्रीय कारागार में बंदी के रूप में मुझे एल्विन टॉलर की पुस्तक Future Shock ***पढ़ने का अवसर मिला, और मैं लेखक का प्रशंसक हो गया। बाद में मैंने उनकी पुस्तक*** *THIRD WAVE* ***और*** *POWER SHIFT* ***पढ़ी। 'पॉवर शिफ्ट' पुस्तक में विस्तार से सत्ता के तीन प्रमुख स्रोतों पर फोकस किया गया है: सेना, धन और ज्ञान तथा इसमें सत्ता के एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र के बदलने के इतिहास को बताया गया है, और कैसे वर्तमान युग में ज्ञान आधारित समाज अपेक्षाकृत रूप से प्रभावी है।***

प्रभावी है।

पिछले सप्ताह न्यूयार्क के मेरे एक मित्र ने इसी विषय पर एक विद्वान की पुस्तक भेंट की जो आधुनिक विश्व में सत्ता कैसे विकसित होती है, के विशेषज्ञ हैं। पुस्तक का शीर्षक है The Future of Power (दि फ्यूचर ऑफ पॉवर) और लेखक हैं 'हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के पूर्व डीन जोसफ एस.न्ये. जूनियर।

न्ये लिखते हैं कि केनेडी और ख्रुश्चेव के युग में सत्ता के संसाधन को परमाणु मिसाइल्स, औद्योगिक क्षमता, और पूर्वी यूरोप के मैदान में तुरंत जा सकने वाले शस्त्रधारी सैनिकों और टैंकों की संख्या से मापा जाता था। लेकिन 21वीं शताब्दी का वैश्विक सूचना युग सत्ता के परम्परागत मानकों की लुप्तप्राय व्याख्या कर रहा है, सत्ता के सम्बन्ध पुनर्भाषित हो रहे हैं।

कहा जाता है कि यह पुस्तक "एक ऐसी नई सत्ता का वर्णन करती है जो बदलाव, नवाचार, प्रमुख प्रौद्योगिकी और नए सम्बन्धों से 21वीं शताब्दी को परिभाषित करेगा।"

पुस्तक सत्ता को परिभाषित करते हुए बार–बार तीन विशेषणों का उपयोग करती हैः कठोर सत्ता, नरम सत्ता और स्मार्ट सत्ता। (Hard Power, Soft Power and Smart Power)

पुस्तक की अपनी प्रस्तावना में लेखक रक्षा मंत्री राबर्ट गेट्स को उद्धृत करते हुए अमेरिकी सरकार से कूटनीति, आर्थिक सहायता और संचार सहित 'सॉफ्ट पॉवर टूल्स' के लिए और ज्यादा धन की प्रतिबद्धता करने का अनुरोध करते हैंः वह बताते हैं कि अमेरिका का सैन्य खर्चा 36 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। जोसफ न्ये ने एक राष्ट्र की 'हार्ड और सॉफ्ट पॉवर को मिलाकर विभिन्न संदर्भों में एक प्रभावी रणनीति' की क्षमता को स्मार्ट पॉवर नाम की नई परिभाषा दी है।

पुस्तक** (Hard Power, Soft Power and Smart Power) **की अपनी प्रस्तावना में लेखक रक्षा मंत्री राबर्ट गेट्स को उद्धृत करते हुए अमेरिकी सरकार से कूटनीति, आर्थिक सहायता और संचार सहित 'सॉफ्ट पॉवर टूल्स' के लिए और ज्यादा धन की प्रतिबद्धता करने का अनुरोध करते हैंः वह बताते हैं कि अमेरिका का सैन्य खर्चा 36 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। जोसफ न्ये ने एक राष्ट्र की 'हार्ड और सॉफ्ट पॉवर को मिलाकर विभिन्न संदर्भों में एक प्रभावी रणनीति' की क्षमता को स्मार्ट पॉवर नाम की नई परिभाषा दी है।

पाकिस्तान के परमाणु सम्पन्न बनने के संदर्भ में लेखक ने एक दिलचस्प उदाहरण इस प्रकार दिया हैः

"सत्तर के दशक के मध्य में फ्रांस पाकिस्तान को एक परमाणु रिप्रोसेसिंग प्लांट बेचने को राजी हो गया था जिससे प्लूटोनियम, एक सामग्री जिसका उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों या बम बनाने के लिए किया जा सकता है, निकाला जा सकता था। परमाणु हथियारों के प्रसार से चिंतित फोर्ड प्रशासन ने यह प्लांट पाकिस्तान को खरीदने से रोकने के लिए उच्च क्षमता वाले विमान देने का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान ने यह सौदा नहीं माना। फोर्ड तथा कार्टर प्रशासन ने फ्रांस पर दबाव बनाकर इस बिक्री को रद्द कराने की कोशिश की लेकिन फ्रांस ने इस आधार पर इसे मानने से इंकार कर दिया कि यह सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा रहा विधिसम्मत सौदा है।

जून 1977 तक कुछ होता नजर नहीं आया, जब मैं (लेखक) जिम्मी कार्टर की अप्रसार नीति का प्रभारी था और मुझे फ्रांसीसी अधिकारियों को नए साक्ष्य दिखाने की अनुमति दी गई कि कैसे पाकिस्तान परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। फ्रांस के एक उच्च अधिकारी ने मेरी आंखों में देखा और मुझे बताया कि यदि यह सत्य है तो फ्रांस को इस प्लांट को पूरा होने से रद्द करने का रास्ता ढूंढना होगा।

इस लक्ष्य को अमेरिका कैसे हासिल कर सका? कोई धमकी नहीं दी गई। कोई भुगतान नहीं किया। कोई प्रलोभन नहीं दिया गया या लाठियां नहीं भांजी गई। समझाने और विश्वास से फ्रांसीसी व्यवहार बदला। मैं वहां था और मैंने इसे होते देखा। यह मुश्किल से सत्ता के प्रचलित ढांचे में फीट बैठती है जोकि अधिकांश सम्पादकीयों या ताजा विदेश नीति संबंधी पुस्तकें समझाने को सत्ता के रुप में नहीं मानती क्योंकि यह "अनिवार्य रुप से एक बौद्धिक या भावनात्मक प्रक्रिया" है।

टेलपीस (पश्च्य लेख)

सन् 2011 की मुख्य घटना वाशिंगटन द्वारा 9/11 के कर्ताधर्ता ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में ढूंढ निकालना और खत्म कर देना रही।

इस नव वर्ष पर मुझे, भारतीय विदेश सेवा के एक सेवानिवृत अधिकारी द्वारा 'चुक परारर' की पुस्तक 'Seal Target Geronimo' (सील टारगेट गेरोनिमों) भेंट दी। मैं इस घटनाक्रम की अंदरुनी कहानी बड़े चाव से पढ़ रहा हूं। इस बीच मैंने इंटरनेट पर ये रिपोर्ट देखी जिनमें अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन्स के हवाले से इस पुस्तक को 'एक मनगढ़न्त' कहा गया है! ■

छत्तीसगढ़ में साकार होता सुशासन का सपना

LojkT; dqekj

nsश के कवि हृदय यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सम्पूर्ण भारत में जनता के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए जिस 'सुशासन' की परिकल्पना की थी, वह छत्तीसगढ़ में जमीनी हकीकत में बदल रही है। छत्तीसगढ़ के जन–मानस में अटल जी की छवि राज्य निर्माता के रूप में हमेशा के लिए रच–बस गई है। यही वजह है कि उनके सुशासन की अवधारणा को भी राज्य में पूरी संजीदगी से अमली–जामा पहनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में साकार होते सुशासन के सपने पर एक नजर डालने के लिए अटल जी के जन्म दिन से अच्छा अवसर और क्या हो सकता है।

लोकप्रिय जन–नेता और कुशल प्रशासक के रूप में अटल जी की पहचान भारत में सुशासन के कुशल रणनीतिकार के रूप में है। उनका यह स्पष्ट चिंतन है कि सरकार और प्रशासन का बेहतर प्रबंधन केवल और केवल सुशासन से ही संभव हो पाता है। परिणाम मूलक कार्य संस्कृति सुशासन से ही उत्पन्न होती है। देश के नये राज्य छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना के मात्र ग्यारह वर्ष की अल्प अवधि में से विगत आठ वर्षों में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला करते हुए जिस तरह कामयाबी का परचम लहराया है, उसमें सुशासन तथा उस पर आधारित कार्य संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। सिंचाई, कृषि विकास, सड़क निर्माण, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और शहरी विकास जैसे हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन के जरिए अपनी बेहतर पहचान बनायी है। भारत गांवों का कृषि प्रधान देश है। अटल जी के सुशासन की अवधारणा में गांव, गरीब और किसानों की बेहतरी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। गांवों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए अटल जी के द्वारा ग्यारह वर्ष पहले 25 दिसम्बर 2000 को देश की जनता को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सौगात दी गई थी। छत्तीसगढ़ के गांवों में इस योजना का बेहतर और सकारात्मक असर साफ देखा जा सकता है। डॉ. रमन सिंह की यह स्पष्ट सोच है कि गरीबों की दिन–प्रतिदिन की जिन्दगी को सहज सरल और सुविधाजनक बनाने वाली और उन्हें आर्थिक स्वावलम्बन की ओर ले जाने वाली व्यवस्था को ही सुशासन कहा जा सकता है। सुशासन की अवधारणा को सफल बनाने में सरकार और प्रशासन के साथ आम जनता की नजदीकी बहुत मायने रखती है। शासन तंत्र और जनता के बीच निरंतर संवाद का होना भी बहुत आवश्यक है।

सरकार जनता के जितने करीब होगी, सरकारी योजनाओं का फायदा उतनी ही तत्परता से जनता को मिल सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अटल जी के इस सिध्दांत को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004 में सरगुजा और उत्तर क्षेत्र तथा बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण सहित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की स्थापना की, जिससे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति बहुल इन पिछड़े इलाकों में जनप्रतिनिधियों के परामर्श से विकास का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। वर्ष 2007 में डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश के सर्वाधिक नक्सल हिंसा पीड़ित और वर्षों से उपेक्षित बस्तर संभाग के नारायणपुर और बीजापुर को जिले का दर्जा देकर इन इलाकों में सामाजिक–आर्थिक प्रगति के एक नये युग की बुनियाद रखी। और अब उन्होंने जनवरी 2012 से राज्य में नौ नये जिलों – गरियाबंद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बालोद, बलरामपुर, सूरजपुर, मुंगेली, सुकमा और कोण्डागांव को जिले का दर्जा देने का निर्णय लेकर उनकी स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री ने विगत आठ वर्षों में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के जरिए राज्य में सुशासन का एक नया वातावरण बनाया। उनके नेतृत्व में प्रदेश के सभी 146 विकासखण्डों को तहसील का दर्जा देकर तहसीलों की संख्या 98 से बढ़ाकर 146 की गई। इस अवधि में नगर पालिका परिषदों की संख्या 27 से बढ़कर 32 और नगर पंचायतों की

संख्या 73 से बढ़कर 126 हो गई। पटवारी हल्कों की संख्या चार हजार 843 से बढ़कर चार हजार 906 तक पहुंच गई। जनभागीदारी सुशासन के लिए अनिवार्य है। इसे ध्यान में रखकर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में डॉ. रमन सिंह की सरकार ने महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। इससे गांवों के विकास के लिए महिलाओं के नेतृत्व और महिला सशक्तिकरण की भावना को एक नई ऊर्जा मिली। सुशासन के लिए राज्य सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 बनाकर उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत बीस विभागों की एक सौ से अधिक सेवाओं को शामिल किया गया है, जिनमें आवेदकों के काम निर्धारित समय–सीमा में करने की अनिवार्यता होगी। सरकार और जनता के बीच नजदीकी बढ़ाकर सुशासन की राह को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में वर्ष 2005 से ग्राम सुराज अभियान की शुरूआत की गई है। छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह की सरकार ने विगत आठ वर्षों मैं पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव सफलता पूर्वक सम्पन्न करवाए। सुशासन का सपना तभी साकार होगा, जब किसी भी देश अथवा राज्य में समाज के मेहनतकश और अंतिम छोर के लोगों तक योजनाओं की रौशनी पहुंचेगी। किसी भी सभ्य समाज के माथे पर भूख और भीख से बड़ा कलंक और कुछ भी नहीं हो सकता। इस कलंक को सुशासन के जरिए गरीबों के लिए भरपेट भोजन तथा रोजगार के अवसर बढ़ाकर ही दूर किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह ने इस तथ्य को और गरीबों के भूख की पीड़ा को दिल की गहराईयों से महसूस किया। गरीबों को एक रूपए और दो रूपए किलो चावल तथा निःशुल्क आयोडिन नमक देने की कोई योजना वर्ष 2003 से पहले नहीं थी। डॉ. रमन सिंह ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बेहतर प्रबंधन के जरिए राज्य के 32 लाख से अधिक गरीब परिवारों के लिए सिर्फ एक रूपए और दो रूपए किलों में हर महीने 35 किलो चावल देने का पक्का इंतजाम करवाया। उन्हें हर महीने दो किलो नमक निःशुल्क दिया जा रहा है। सस्ते चावल की इस योजना के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ को भूख और भीख के सामाजिक कलंक से मुक्ति मिली है।

छत्तीसगढ़ में सुशासन का पौधा लगातार पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। यह बहुत जल्द एक विशाल छायादार वृक्ष बनकर जनता को सुशासन के और भी अधिक मीठे फलों के साथ शीतल छाया भी प्रदान करेगा। अटल जी ने जिस नये छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में वह तेजी से देश का सबसे विकसित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है।

गांवों में अब गरीबों को दो मुट्ठी चावल के लिए किसी के आगे हाथ पसारते नहीं देखा जाता। प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारत सरकार के योजना आयोग सहित देश की सर्वाच्च अदालत ने भी एक आदर्श प्रणाली के रूप में प्रशंसा के शब्दों से नवाजा है। इस प्रणाली के तहत आम जनता को किफायती राशन दिलाने के लिए वर्ष 2003 में उचित मूल्य दुकानों की संख्या आठ हजार 492 थी, जो वर्ष 2010–11 में दस हजार 846 तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ वर्ष 2008 से लगातार देश का पहला विद्युत कटौती मुक्त राज्य बना हुआ है, तो इसमें भी सुशासन की अहम भूमिका है।

सुशासन की सफलता के लिए किसानों की आर्थिक प्रगति भी बहुत जरूरी है। इसके लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार भी बहुत जरूरी है। इसके लिए सिंचाई योजनाओं के बेहतर प्रबंधन और नवीन सिंचाई योजनाओं को तेजी से पूर्ण करने की एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई है। विगत आठ वर्ष में राज्य की सिंचाई क्षमता 26.08 प्रतिशत से बढ़कर 32 प्रतिशत तक पहुंच गई है। प्रदेश का सिंचित रकबा वर्ष 2003 में 14 लाख हेक्टेयर के आस–पास था, जो वर्ष 2010–11 में 18 लाख हेक्टेयर से भी अधिक हो गया है। डॉ. रमन सिंह की सरकार ने राज्य के लगभग साढ़े नौ लाख किसानों को उनकी मेहनत की वाजिब कीमत दिलाने के लिए समर्थन मूल्य नीति के तहत धान खरीदी के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था की। राज्य के किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से पहले पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर खेती के लिए ऋण मिलता था। डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने खेती की बढ़ती लागत के बोझ से किसानों को राहत देने के लिए भारी–भरकम ब्याज दर को वर्ष 2004 में घटाकर नौ प्रतिशत, फिर आगामी वर्षों में सात प्रतिशत और छह प्रतिशत करते हुए और भी कम करके मात्र तीन प्रतिशत कर दिया। छत्तीसगढ़ में सुशासन का पौधा लगातार पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। यह बहुत जल्द एक विशाल छायादार वृक्ष बनकर जनता को सुशासन के और भी अधिक मीठे फलों के साथ शीतल छाया भी प्रदान करेगा। अटल जी ने जिस नये छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में वह तेजी से देश का सबसे विकसित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। ■

'मध्यप्रदेश में सुशासन रोल मॉडल के रूप में उभर रहा है'

Hkkरतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश कार्यसमिति की बैठक 26 एवं 27 दिसम्बर 2011 को ग्वालियर में सम्पन्न हुई। उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी श्री अनंत कुमार कुमार ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व राजनीति में गुड गर्वेनेंस ट्रेंड नहीं था, लेकिन आज के राजनैतिक समीकरण सुशासन पर आधारित होने चाहिए, क्योंकि सुशासन देश की मांग है। मध्यप्रदेश सुशासन की इसी कड़ी का संवाहक है। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस लक्ष्य को हासिल करने में अटल जी द्वारा तैयार किया गया सुशासन रोल मॉडल के रूप में प्रदेश में उभरेगा। आज मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और पूरा संगठन वाजपेयी मॉडल पर कार्य कर रहा है।

उदबोधन के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव नरेन्द्रसिंह तोमर एवं थावरचन्द गेहलोत, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रभात झा, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तनवीर अहमद, प्रदेश संगठन महामंत्री अरविन्द मेनन, प्रदेश महामंत्री और प्रवक्ता माया सिंह, ग्वालियर जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश शर्मा ने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, पितृपुरूष कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता विजयाराजे सिंधिया के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्जवलन के साथ बैठक का शुभारंभ किया।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री प्रभात झा ने अखण्ड प्रवास करने का आह्वान किया। हम कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हम पीड़ित और पिछड़ों के आंसू पोछें। राजनीति सिर्फ वोटों के लिए नहीं समाज में सामाजिक क्रांति के लिये होती है। प्रभात झा ने बताया कि पूंजीपतियों, व्यवसायियों के पैसों से सरकार बनाने में कोई सहयोग नहीं लिया जायेगा। हम कार्यकर्ता और जनता के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे। 21वीं सदी में परिश्रम पारदर्शिता की राजनीति चलेगी और आने वाले 2013 के विधानसभा चुनाव शिवराजसिंह चौहान के

कांग्रेस का पंजा गरीबों की जेब पर डाल रहा डाका : नितिन गडकरी

भारतीय जनता पार्टी, मध्यप्रदेश कार्यकारिणी बैठक के अंतिम दिन 27 दिसम्बर 2011 को ग्वालियर में आयोजित विशाल रैली को सम्बोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी के ''राजकुमार'' कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती का हाथी गरीबों का पैसा खा रहा है, तो श्री गांधी को भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों कांग्रेस आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही है? श्री नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेसनीत यूपीए शासन के चलते भय, भूख और भ्रष्टाचार का राज हो गया है और देशवासियों को इससे मुक्ति तभी मिलेगी जब देश में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार आएगी।

श्री गडकरी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। बेलगाम महंगाई के चलते आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। ऐसे में देशवासियों को अटलजी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की याद आ रही है, जब महंगाई नियंत्रित रही। रैली में श्री नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन किया। इस रैली को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री प्रभात झा ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार एवं श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा सहित अनेक वरिष्ठ पार्टी नेता उपस्थित थे। ■

नेतृत्व में चुनाव लड़ा जायेगा और जनादेश प्राप्त करेंगे। पार्टी का हर कार्यकर्ता राष्ट्र प्रहरी है और उसे राष्ट्र को मजबूत करना है।

कार्यसमिति के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी नरेन्द्रसिंह तोमर ने कहा कि भाजपा मूल्य आधारित दल है जहां हर कार्यकर्ता को उसकी प्रतिभा और क्षमता के हिसाब से दायित्व दिये जाते है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव

थावरचन्द गेहलोत ने कहा कि ग्वालियर में कार्यसमिति का होना प्रदेश के लिए उर्जा संचरण करने का काम करेगा, क्योंकि ग्वालियर सुशासन पुरूष अटलजी, राजमाता सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे महान लोगों की कर्मभूमि रही है।

कार्यसमिति बैठक के पूर्व परंपरागत ध्वजारोहण राजमाता नगर (कैंसर अस्पताल) में किया गया। सत्र का संचालन प्रदेश महामंत्री व प्रवक्ता माया सिंह ने किया। द्वितीय सत्र में राजनैतिक प्रस्ताव नंदकुमारसिंह चौहान ने पेश किया, जिसका समर्थन प्रदेश उपाध्यक्ष उषा ठाकुर, महिला मोर्चा अध्यक्ष नीता पटैरिया ने किया।

तृतीय सत्र में यूपीए सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रदेश महामंत्री राकेश सिंह ने प्रस्तुत किया जिसका समर्थन सांसद एवं प्रदेश मंत्री गणेश सिंह ने किया। इस प्रस्ताव में प्रदेश न्यायालय विधेयक, गौवंश प्रतिशेध विधेयक रोकने के लिए केन्द्र के निर्णय की निंदा की गयी। बुन्देलखण्ड को लेकर विशेष प्रस्ताव सांसद भूपेन्द्र सिंह ने प्रस्तुत किया।

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के अंतिम दिन 27 दिसम्बर 2011 को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुशासन की इस कड़ी में आप सभी की सहभागिता भी शामिल है। हमारा संगठन एक आदर्श संगठन है। हम ठाकरे जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर कार्य कर रहे है।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। वर्ष 2003 में प्रदेश की विकास दर माइनस में तीन थी लेकिन 2011 में 10.06 प्रतिशत रही है। उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में प्रदेश की आर्थिक विकास का दर 12 प्रतिशत तक पहुंचने की आशा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने विकास के कार्यों को जन आन्दोलन बना दिया है जिसके चलते बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाने वाला प्रदेश देश के प्रथम तीन तेज आर्थिक विकास दर वाले राज्यों में शामिल हो चुका है।

केन्द्र की यूपीए सरकार पर राजनैतिक आधार पर भेदभाव का आरोप दोहराते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन आधारित विकास से कांग्रेसी घबराए हुए है उन्हें स्पष्ट नजर आ रहा है कि मध्यप्रदेश में उनकी राजनैतिक जमीन तेजी से खत्म हो रही है इसलिए अब वे यूपीए सरकार के माध्यम से प्रदेश की सात करोड़ जनता के हितों पर कुठाराघात कर रहे है।

प्रदेश में स्थापित हिन्दी विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुये उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश से आये प्रतिभाशाली बच्चे हिन्दी माध्यम के कारण अंग्रेजी वालों का मुकाबला नहीं कर पाते। इसलिए अब हमने तय किया है कि मेडीकल, इंजीनियरिंग, सूचना तकनीकी क्षेत्रों की पढ़ाई का पाठ्यक्रम हिन्दी में बनाकर अंग्रेजी वाले चंद लोगों का साम्राज्य तोड़ने का काम मध्यप्रदेश से किया जायेगा।

कार्यसमिति की बैठक के दूसरे दिन की कार्यवाही सर्वप्रथम मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे, पं. दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्ज्वलित करते हुए आरंभ की।

इसके पश्चात् किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिदायतुल्ला शेख, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू जिराती, अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष ओमप्रकाश धुर्वे ने तीन माह का वृत्त प्रस्तुत कर आगामी कार्ययोजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। वृत्त निवेदन के पश्चात् मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को दी जा रही न्यूनतम मजदूरी में की जा रही लूट को लेकर विशेष प्रस्ताव सामाजिक न्याय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रस्तुत किया। जिसका सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया। ■

माया सरकार ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े : भाजपा

Hkkरतीय जनता पार्टी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामनाथ कोविन्द ने 31 दिसम्बर 2011 को प्रदेश पार्टी मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि उ0प्र0 के इतिहास में यह पहली सरकार है जिसने अपने 19 मंत्रियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप में बर्खास्त किया और एक मंत्री ने त्यागपत्र दिया। श्री कोविन्द ने कहा कि जिस कैबिनेट के एक तिहाई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में निकाले गए हैं उस कैबिनेट की मुखिया के समक्ष उसकी प्रशासनिक योग्यता और क्षमता को लेकर गम्भीर प्रश्न खड़े करता है।

श्री कोविन्द ने सवाल पूछते हुए कहा कि उ0प्र0 की जनता यह जानना चाहती है कि एक सप्ताह के अन्दर आठ–दस मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में तब बर्खास्त किया जब चुनाव घोषित हो गए। क्या मुख्यमंत्री को अपने इन मंत्रियों द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार पिछले साढ़े चार वर्षो में नहीं समझ में आया? यह मुख्यमंत्री की प्रशासनिक अक्षमता और अयोग्यता को साबित करता है।

श्री कोविन्द ने मुख्यमंत्री से पूछा कि भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्रियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराकर मुकदमा चलाए जाने की पहल क्यों नहीं की गई ? सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने वाले मंत्रियों से कब्जा हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई ?

कैबिनेट में सबसे कद्दावर मंत्री नसीमुद्दीन को मायावती ने आज तक भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत अब तक क्यों बर्खास्त नहीं किया ? जबकि नसीमुद्दीन के एजुकेशन ट्रस्ट का अभिलेखों में दर्ज पता तक फर्जी पाया गया है।

श्री कोविन्द ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नसीमुद्दीन को सम्भवतः इसलिए बर्खास्त नहीं किया कि शायद उनको लगता है कि नसीमुद्दीन की बर्खास्तगी से लोकायुक्त की जांच उन तक पहुंचेगी।

श्री कोविन्द ने नसीमुद्दीन की बर्खास्तगी की मांग की है ताकि लोकायुक्त की जांच प्रभावित न हो।

श्री कोविन्द ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत मायावती की होर्डिंग हटाए जाने का स्वागत करते हुए चुनाव आयोग से पूछा कि वह हाथी की मूर्तियों को अभी तक क्यों नहीं हटा रही है जबकि वे बसपा के प्रचार तंत्र के माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता के लिए मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित हाथी की मूर्तियों को तत्काल हटाने की कार्रवाई करे।

श्री कोविन्द ने मायावती से मांग की है कि वह ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय द्वारा लोकायुक्त से रिश्तों को लेकर कही गई बात पर स्पष्टीकरण दें और कहा कि जनता जानना चाहती है कि रामवीर उपाध्याय और लोकायुक्त के बीच किस तरह के रिश्ते हैं। क्योंकि लोकायुक्त ने रामवीर उपाध्याय के खिलाफ जांच में उन्हें आरोप मुक्त किया है। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी द्वारा सहारनुपर में मजबूत लोकपाल को लेकर कही गई बात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी इस बात का प्रमाण है कि सरकार द्वारा पेश किया गया लोकपाल बिल कमजोर लोकपाल बिल है। ■

भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्रियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराकर मुकदमा चलाए जाने की पहल क्यों नहीं की गई ? सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने वाले मंत्रियों से कब्जा हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई ?

मायावती के घोटालों और फर्जी कम्पनियों की जांच हो : किरीट सोमैय्या

Hkkजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री किरीट सोमैय्या ने मांग की है कि मायावती के घोटालों का खेल मत खेलिए, उनके सभी घोटालों और फर्जी कम्पनियों की ईमानदारी से जांच कराई जाए। यदि केन्द्र सरकार और सीबीआई ईमानदारी से मायावती सरकार और उनके मित्रों एवं परिवारजनों की फर्जी कम्पनियों की जांच करना चाहती है तो अब तक इन मामलों की कलई खुल चुकी होती। इन कम्पनियों को घोटालों के धन का दुरूपयोग करने के लिए खड़ा किया गया है। ऐसा लगता है कि भाजपा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और साक्ष्यों पर कांग्रेस सरकार राजनीति कर रही है।

भाजपा ने 2500 पृष्ठों के दस्तावेजी साक्ष्य विभिन्न सरकारी एजेंसियों को दिए हैं जिनमें सीबीआई भी शामिल है। मायावती के भाई आनन्द कुमार की कम्पनियों में घोटाले के धन को रखा गया है। इन कम्पनियों का वास्तविक मालिक कोई और नहीं, बल्कि सुश्री मायावती का भाई आनन्द कुमार है। मायावती की भाभी विचित्र लता भी इन 300 कम्पनियों में से अधिकांश कम्पनियों की हिस्सेदार हैं। भाजपा की 'भ्रष्टाचार उजागर समिति' के संयोजक डॉ. सौमैय्या ने पुनः दोहराया कि भाजपा मायावती सरकार और कांग्रेस सरकार के घोटालों से लड़ने, पर्दाफाश करने तथा इन्हें अंतिम तार्किक परिणति तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है।

डॉ. सोमैय्या ने इस बात पर गहरा क्षोभ और आश्चर्य प्रगट किया कि आखिर कांग्रेस सरकार और सीबीआई क्यों आनन्द कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती है?

भाजपा ने 2500 पृष्ठों के दस्तावेजी साक्ष्य विभिन्न सरकारी एजेंसियों को दिए हैं जिनमें सीबीआई भी शामिल है। मायावती के भाई आनन्द कुमार की कम्पनियों में घोटाले के धन को रखा गया है। इन कम्पनियों का वास्तविक मालिक कोई और नहीं, बल्कि सुश्री मायावती का भाई आनन्द कुमार है। मायावती की मामी विचित्र लता भी इन 300 कम्पनियों में से अधिकांश कम्पनियों की हिस्सेदार हैं।

वर्ष 2011 में भाजपा ने मायावती सरकार के विभिन्न घोटालों का पर्दाफाश किया है जो निम्नवत् हैं :

1. फर्जी कम्पनियां
2. नोयडा भूमि घोटाला
3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
4. बिजली परियोजनाएं
5. सामाजिक कल्याण योजनाएं, अनाज योजना, पेंशन योजना
6. अन्य घोटाले

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में भाजपा शिष्टमण्डल ने दस्तावेजी प्रमाणों के साथ मायावती सरकार के घोटालों की विस्तृत जानकारी माननीय राष्ट्रपति को जुलाई 2011 में सौंपी थी।

मायावती के परिवारजनों की फर्जी कम्पनियां

- मायावती के मित्रों और परिवारजनों ने 300 फर्जी कम्पनियां बनाईं।
- 10,000 करोड़ रूपए का फर्जी लेन–देन।
- इन कम्पनियों में निवेश रखकर/निवेश करके रिश्वत/घुसखोरी की गई।
- ये सभी कम्पनियां आनन्द कुमार, उनकी पत्नी विचित्र लता और अन्य लोगों के स्वामित्व में हैं।
- गैर–पारदर्शी।/घोटालायुक्त लेन–देन/आय दिखाई गई है।
  1. वायदा बाजार से हजारों करोड़ों का लाभ।
  2. अस्तित्वहीन कम्पनियों से हजारों करोड़ों की प्राप्ति।
  3. कम्पनियों से दिखाए गए ऐसे अनेक प्राप्त ऋण हैं जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है।
- एक उदाहरण देखिए– शिवानन्द रियल एस्टेट प्रा. लि. एक कम्पनी है जिसकी प्रदत्त पूंजी मात्र 1 लाख रुपए है जिसे 142 करोड़ रूपए में श्री जैन (एक संदिग्ध व्यक्ति) से खरीदी गई थी।
- होटल लाइब्रेरी क्लब– एक दूसरी आनन्द कुमार की कम्पनी है जिसने वायदा व्यापार से 157 करोड़ रूपए की आय दिखाई है।
- भाजपा ने इन सभी कम्पनियों/ घोटालों की विस्तृत जानकारी भारत सरकार, सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री को दी।
- भारत सरकार (कांग्रेस सरकार) ने अभी तक कोई जांच/कार्रवाई शुरू नहीं की है। ■

हजारों कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए : कार्यकर्ताओं ने बांधी काली पट्टियां

लोकतंत्र की हत्या के विरुद्ध भाजपा का का विरोध मार्च

ज्यसभा में लोकपाल बिल पास न कराने को कांग्रेस का नियोजित षड्यंत्र बताते हुए सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या किए जाने से आक्रोशित हज़ारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने 30 दिसम्बर 2011 को दिल्ली प्रदेश मुख्यालय से संसद तक विरोध पदयात्रा निकाली। इसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने किया। हजारों उत्तेजित भाजपा कार्यकर्ताओं को संसद मार्ग पुलिस ने रास्ते में ही हिरासत में ले लिया। कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे – 'कांग्रेस ने आधी रात को की, लोकतंत्र की हत्या, जनतंत्र की हत्या', 'मनमोहन सरकार, इस्तीफा दो–इस्तीफा दो', 'जनतंत्र की हत्यारी सरकार, बर्खास्त करो–बर्खास्त करो' आदि। कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टियां बांधी थीं। वे हाथों में काले झंडे लिए हुए आगे बढ़ रहे थे।

पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस का इतिहास ही आधी रात को देश को धोखा देने का रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 24/25 जून, 1975 की मध्यरात्रि में ही देश में आपातकाल लागू करके लाखों लोगों को अकारण जेलों में डाल दिया था। कांग्रेस का चरित्र तानाशाही और अलोकतांत्रिक निर्णयों का रहा है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सरकार जब भी शासन में आती है देश भ्रष्टाचार, मंहगाई और आतंकवाद का सामना करने लगता है।

पदयात्रा से पहले कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीयत शुरू से ही ठीक नहीं थी। यह सरकार स्वयं भ्रष्ट है तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है इसी कारण मनमोहन सरकार को डर था कि यदि संसद ने प्रभावी और सशक्त लोकपाल बिल संशोधनों के साथ पारित कर दिया तो कांग्रेस के अनेक शीर्ष नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसीलिए जनविरोधी कांग्रेस सरकार ने मध्यरात्रि को देश को धोखा दिया और राज्यसभा में लोकपाल बिल पास करने से पीछे हट गई। जब तक देश में कांग्रेस का कुराज रहेगा, देश से भ्रष्टाचार, मंहगाई मिटने का नाम नहीं लेगी। यह सरकार आम जनता की नहीं बल्कि दलालों, बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों–माफियाओं की सरकार है।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि अब कांग्रेस सरकार को हटाना ही भाजपा का लक्ष्य है क्योंकि जब तक यह सरकार देश में शासन करेगी, देश की 121 करोड़ जनता को भ्रष्टाचार, मंहगाई का सामना करना ही पड़ेगा। यदि भारत देश को बचाना है तो कांग्रेस सरकार को हटाना है। आज के प्रदर्शन में सर्वश्री रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, विधायक सुभाष सचदेवा, श्रीकृष्ण त्यागी मेवाराम आर्य, पवन शर्मा, आर.पी. सिंह, सतीश उपाध्याय, विशाखा शैलानी, राधेश्याम शर्मा, सुभाष आर्य, योगेन्द्र चंदोलिया, अनिल शर्मा, नरेन्द्र टंडन, सिम्मी जैन, राजन तिवारी, सुनील यादव, कुलजीत सिंह चहल, डॉ. सम्बित पात्रा, शिखा राय, नकुल भारद्वाज, आतिफ रशीद, कृष्णलाल ढिलौड़, राजकुमार बल्लन, अनिल गोयल, महेन्द्र गुप्ता, सहित अनेक प्रदेश पदाधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। ■

धूमल सरकार ने पूरे किए जन-सेवा के चार वर्ष

गडकरी ने भाजपा सरकार की प्रशंसा करते हुए अगले वर्ष के चुनावों में लोगों से जनादेश की अपील की

gekj: l oknnkrk }kjk

Xत 30 दिसम्बर 2011 को प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने एक इतिहास रच डाला जब उन्होंने हि.प्र. के मुख्यमंत्री के रूप में अपने वर्तमान द्वितीय कार्यकाल के चार वर्ष पूरे कर लिए। इस प्रकार वे ऐसे प्रथम गैर–कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने इतने लम्बे समय तक हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा की है।

एक और इतिहास भी रचा गया जब हमने देखा कि विश्वभर में विख्यात कुल्लू दशहरा स्थल पर इस ऐतिहासिक मैदान में इस अवसर पर 25 हजार से अधिक लोगों का जनसमूह मौजूद था।

इस दिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी और प्रो. प्रेमकुमार धूमल विशेष रूप से दिल्ली से विमान यात्रा कर इस समारोह में भाग लेना एक प्रमुख आकर्षण का केन्द्र था। ढालपुर मैदान पर पहुंचने पर उनका पारम्परिक ढंग से स्वागत किया जिसमें स्थानीय संगीत वादन और कुल्लू–किन्नौर नृत्य पेश किए गए। आदिवासी किन्नौर नृत्य–समूह का नेतृत्व स्थानीय विधायक श्री तेजवंत नेगी ने पारम्परिक वेशभूषा पहन कर किया।

वर्तमान कार्यकाल के चार वर्ष पूरा होने पर प्रो. धूमल का अभिनंदन करते हुए श्री नितिन गडकरी ने यूपीए सरकार की गहन आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार देश में स्वातंत्र्योपरांत सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है।

श्री गडकरी ने अगले वर्ष होने वाले विधान सभा के चुनाव–अभियान की शुरूआत करते हुए लोगों से फिर से अपना जनादेश धूमल सरकार को देने का आग्रह किया क्योंकि भाजपा ने ही चार वर्षों में ही अपने घोषणा–पत्र में दिए सभी वायदों को पूरा कर दिखाया है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में धूमल सरकार द्वारा प्राप्त 52 राष्ट्रीय एवार्ड मिलने पर बधाई भी दी, जिसका पूरे विशाल जन समूह ने तालियां बजाकर अनुमोदन किया।

श्री गडकरी ने कहा कि सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 60 प्रतिशत से अधिक पार्टी कार्यकर्ता धूमल सरकार के सुशासन और विकास की सराहना करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास सभी मंत्रियों तथा विधायकों के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड है।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में परिसंघीय ढांचे को ध्वस्त कर दिया है और देश को मतदाताओं को लुभाने के लिए मजहबी तथा साम्प्रदायिक आधार पर विभाजित कर दिया है।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री श्री प्रेमकुमार धूमल ने सरकार और भाजपा का पिछले चार वर्षों में निर्विवाद रूप से समर्थन देने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपना संकल्प दोहराया कि आगे आने वाले समय में सरकार और भी अधिक उत्साह से बेहतर ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस अवसर पर उन्होंने कई नई सार्वजनिक कल्याण योजनाएं भी शुरू की तथा छात्रों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को अनेक प्रकार के वित्तीय लाभों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग की देखभाल के लिए वचनबद्ध है।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शांता कुमार ने धूमल सरकार की महान उपलब्धियों की सराहना की तथा लोगों ने अगले वर्ष के चुनावों में फिर से सत्ता में लाने की अपील की। उन्होंने यह भी बताया कि जब वे 1977 और 1990 में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किन–किन

...शेष पृष्ठ 29 पर

कांग्रेस व बसपा ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को तोड़ा : नितिन गडकरी

Hkkजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 5 जनवरी 2012 को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम की जगह तिहाड़ जेल में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा. के बगल में है।

झांसी के मउरानीपुर में आयोजित एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चिदम्बरम पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि मायावती ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। दिल्ली की लूट को देखकर उत्तर प्रदेश की मुखिया मायावती ने कहा कि तुम दिल्ली लूटो, मैं उत्तर प्रदेश को लूटती हूं।

श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार में रहते हुए पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने एक लाख 76 हजार करोड़ का घोटाला किया और सुरेश कलमाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों के नाम पर 76 हजार करोड़ का घोटाला किया। श्री गडकरी ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि जब कलमाड़ी और राजा तिहाड़ में हैं तो फिर चिदम्बरम बाहर कैसे हैं। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में रामराज्य स्थापित करना चाहते हैं, जहां कोई भूखा नहीं रहेगा और मां बहनों के साथ बलात्कार नहीं होगा। सबको न्याय मिलेगा।

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा लाओ प्रदेश बचाओ अभियान की संयोजक सुश्री उमा भारती ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि मायावती की भ्रष्ट सरकार में गरीबों के मुंह और पेट सूख कर रह गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट सरकार में सबसे अधिक अन्याय पिछडों और दलितों पर हुआ है, इसलिए हमने अपना चुनाव अभियान बुंदेलखण्ड की उस विधानसभा सीट से शुरू किया है जिसका प्रत्याशी एक दलित है।

सुश्री उमा ने कहा कि मायावती जिस वर्ग के बल पर सत्ता में आई हैं उसी वर्ग का सबसे ज्यादा अपमान हुआ है। ■

सहयोग प्रकोष्ठ

वेबसाइट का लोकार्पण

गत 15 दिसम्बर 2011 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने भाजपा के सहयोग प्रकोष्ठ की वेबसाईट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद, सहयोग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री अश्विनी कुमार ने भी संबोधित किया। उक्त अवसर पर 'सहयोग से संगठन' पर चर्चा भी हुई। यह परिचर्चा सामाजिक कार्यकर्ता स्व. नानाजी देशमुख को समर्पित थी। नानाजी देशमुख की सामाजिक गतिविधियों पर केन्द्रित डॉक्युमेंट्री भी दिखाई गयी। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को नानाजी देशमुख के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री अम्बाचरण वशिष्ठ सहित अनेक पार्टी नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री सुरेश श्रीवास्तव की भूमिका उल्लेखनीय रही।

पृष्ठ 28 का शेष...

जन–समर्थनकारी नीतियां बनाई थी।

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री जे.पी. नड्डा, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर, सांसद, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री खीमी राम, विधायक, पीडब्ल्यूडी मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह, स्वास्थ्यमंत्री डॉ. राजीव बिंदल, आईपीएच मंत्री श्री रविन्द्र रवि, प्रदेश महासचिव श्री रामस्वरूप शर्मा, तथा पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेश भारद्वाज ने इस अवसर पर अपने उद्‌गार प्रगट किए और कहा कि पिछले चार वर्षों में भाजपा ने जुब्बल–कोरखई, रेहडू और रेणुका सीटों को 1952 के बाद पहली बार विजय हासिल कर दिखाई है। ■

गीता और गांधी के पुन:स्मरण से विश्व गुरू बनेगा भारत : न्यायमूर्ति लाहोटी

आजादी के 65 वर्षों बाद भी संविधान में प्रदत्त न्याय समता, स्वतंत्रता और अधिकार आम आदमियों को उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं। भारत में रामराज्य की परिकल्पना तभी सार्थक हो सकेगी जब प्रत्येक नागरिक को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय समान रूप से मिलेगा। यह गीता और गांधी के विचारों की पुनःस्थापना से ही सम्भव है।

उक्त बातें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 57वें राष्ट्रीय अधिवेशन में कही। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एबीवीपी के अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के वर्तमान चुनौतियों व समस्याओं के लिए राजनीतिक महत्वाकाक्षा व अनीति को जिम्मेदार बताया। उन्होंने इसके समाधान के लिए संस्कार, संस्कृति व संस्कृत की आवश्यकता पर जोर दिया।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीति के साथ जब महत्वाकांक्षा व व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ जाता है तो राजनीति गंदी हो जाती है। इसके सुधार के लिए युवाओं को आगे आना होगा। ऐसे में विद्यार्थी परिषद जैसे सगंठन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मिलिन्द मराठे ने राष्ट्रीय पुनःनिर्माण के व्यापक लक्ष्य को लेकर कार्य करने वाले विद्यार्थी परिषद की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि देश में जब–जब चुनौतियां आयी हैं, तब–तब विद्यार्थी परिषद ने हताश व निराश समाज में नई ऊर्जा का संचार किया है। बात चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ की हो या भ्रष्टाचार की, सभी समस्याओं से लड़ने हेतु परिषद के कार्यकर्ता

सड़क से लेकर संसद तक सदैव तत्पर रहे हैं। उन्होंने देश के युवाओं से अपील की है कि वह अपनी ऊर्जा व शक्ति को राष्ट्रहित में लगाए।

श्री मराठे ने कहा, 'छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति दोगुनी हो जाती है। एक विद्यार्थी के नाते और दूसरा नागरिक के नाते। समाज में परिवर्तन तभी लाया जा सकता है जब व्यक्तिगत जीवन में सकरात्मक परिवर्तन हो। व्यक्ति निर्माण इसका माध्यम है और परिषद पिछले 63 वर्षों से इस दिशा में कार्य कर रहें हैं। 'श्रीमराठे ने संस्कारित, सगंठित व राष्ट्र भाव से कार्य करने वाले परिषद द्वारा हर समस्या के समाधान करने के संकल्प को दोहराया।

अनोखे व समर्पण भाव से निराश्रित बच्चों के बीच 'सुरमन पालना' के नाम से बाल आश्रम का संचालन करने वाली जयपुर की सुश्री मनन चतुर्वेदी को उद्घाटन कार्यक्रम में न्यायमूर्ति लाहोटी ने यशवंत राव केलकर पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर सुश्री चतुर्वेदी ने सशक्त समाज की स्थापना के लिए स्त्री शक्ति को अपनी भावी पीढ़ी को संस्कारित व विकसित करने के भाव को जागृत करने हेतु आगे आने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से समाज के दर्द को समझते हुए देश के सामाजिक चुनौतियों से लड़ने हेतु सदैव तत्पर रहने का आह्वाहन किया।

कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से दत्तात्रेय होसबाले, सुरेश सोनी, सुनील आम्बेकर, राजकुमार भाटिया, रविशंकर प्रसाद, अतुल भाई कोठारी, वी.सुरेन्द्रन आदि विविध राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्वागत समिति के अध्यक्ष व दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल विजय कपूर, अधिवेशन संयोजिका डॉ. पायल मग्गो, राष्ट्रीय महामंत्री उमेश दत्त, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गर्ग, भारत भूषण व प्रदेश मंत्री रोहित चहल मंच पर उपस्थित थे। ■